

उप महात्म धर्मशाला :

वाउचर संख्या 9 दिनांक 6-9-99 मु 62,966-00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा अनुसूचित संख्या 19 वर्ष 96-97

के अंतर्गत वसित किए हैं दौरान लिये गये कार्य हैं कि श्री आर्य कुमार लखियावाड़ा को 62,966-00 रुपये का भुगतान किया गया था भुगतान की जाय करने पर लेखन लिखा अनिवार्यतापूर्वक पाई गई ।

[क] वाउचर वसित किए एक लखियावाड़ा से 3000 सीमेंट की बोरेटो की बकूले की गई हैं । अन्ति अनुसूचित की संख्या है अनुसार लखियावाड़ा से । लगे प्रति बोरेटो की दर है 90 प्रतिशत छाती सीमेंट बोरेटो की बकूले की संख्या की जा नहीं की गई थी अतः लखियावाड़ा से वाउचर वसित किए एक कुल उपरोक्त की गई सीमेंट की 90 प्रतिशत छाती बोरेटो की । लगे प्रति बोरेटो की दर है राशि 3150-00 रुपये की बकूले अनुसूचित की जाये ।

[ख] वाउचर वसित किए एक लखियावाड़ा को मु 23,94,493-00 रु. का कुल भुगतान किया गया था जिस पर 27 को दर है बिट्टी कर की 47,890-00 रुपये की बकूले की । लगे को अन्ति लखियावाड़ा बिट्टी कर है लगे है मु 30,573-00 रुपये की की बकूले की गई थी अतः लखियावाड़ा से उपरोक्त की कम बकूले की गई राशि 9315-00 रुपये की राशि माहिसन से बकूले करने अनुसूचित अनुसूचित अंश में दिखाई जाये । लगे राशि 4/15 है वाउचर पर सरकारी की बट्टी की जागी वर्गित की जा नहीं की गई थी अतः लखियावाड़ा से वाउचर पर सरकारी की बकूले करने अनुसूचित का जागी अंश में दिखाई जाये ।

वाउचर संख्या 36 दिनांक 29-3-2000 मु 1735-00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 1735-00 रुपये का भुगतान परदा का पक्षा उप करने हैं कि भुगतान लेखन था यह व्य-कासीय लक्ष्योस धर्मशाला के नवदीन निहाल के निर्माण कार्य को डीप्ट किया गया था अन्ति यह व्य-कासीय व्य-कासीय को डीप्ट किया गया था । अतः उपरोक्त व्य-कासीय व्य-कासीय को डीप्ट लिये जाने के वजाये कासीय लक्ष्योस धर्मशाला को डीप्ट लिये जाने का अनिवार्य स्पष्ट किया जाये अन्ति उपरोक्त व्य-कासीय व्य-कासीय के तमामोस करे अनुसूचित का जागी अंश में दिखाई जाये ।

वाजपेय संख्या: 24 दिनांक 16.6.2000 मु 2000.00 रुपये

उपर्युक्त वाजपेय द्वारा मु 2000.00 रुपये का भुगतान किण्व
विद्युत कण्डल धर्मशाला को नया विद्युत का मीटर लगाने के लिए
प्रतिभूति के रूप में किया गया था यह व्यव वाणिज्यिक कम्पनी के सिद्धपुर
के निष्पत्ति कार्य को डीबिट किया गया था जहाँ यह व्यव प्रतिभूति
करते को डीबिट किया जाता था अतः प्रतिभूति करते को डीबिट किया
जाया जाता प्रतिभूति की भुगतान को गई राशि के व्यव की
मुक्ति प्रतिभूति करते को डीबिट करने वाजपेय वाणिज्यिक कम्पनी का
को डीबिट करने का वाणिज्यिक स्पष्ट किया जाये अन्यथा उपर्युक्त व्यव
को उचित सीधे में डीबिट करके अनुपत्ति वाणिज्यिक कम्पनी में दिवस
जाये ।

37. वा.नं. 13 दिनांक 16.12.2000 मु 422.00 रुपये

उपर्युक्त वाजपेय द्वारा मु 422.00 रुपये का भुगतान श्री
नमोत कुमार दैनिक भौगी कनिष्ठ अभियन्ता को धर्मशाला से मिलता
व वाणिज्यिक कम्पनी के लिए का किया है जो में किया गया
था । उपर्युक्त कनिष्ठ अभियन्ता दैनिक भौगी का कालिदास को का
किया है जो के साधारण वस किया है जो की भुगतान किया जा
सकता था । जहाँ की नमोत कुमार को सीमा डील का का किया है
के रूप में धर्मशाला से मिलता है लिए मु 221.00 रुपये का भुगतान
किया गया था जहाँ उन्हें साधारण वस किया है जो रूप में मु 185.00
रुपये का भुगतान की देय था अतः उचित भुगतान को गई राशि 36.00
रुपये [221.00 रु - 185.00 रुपये] को उचित मध्यम से जूली करके
अनुपत्ति वाणिज्यिक कम्पनी में दिवस जाये ।

38. वाजपेय संख्या 11 मा 6.9.99 मु 12305.00 रुपये

उपर्युक्त वाजपेय द्वारा जय मरुभुजी के अतिरिक्त और स्टोप
4200 रु. 9.99 रुपये प्रति मीटर दूर है 2 व मीटर गये है । जिसकी प्राप्ति
की प्रतिभूति एम.एल.एस. रीक्टर के पृष्ठ 21 पर दिनांक 14.6.99
को की गई थी । मा 6/99 में मरुभुजी संख्या: 705 पृष्ठ 49
पर 203 और स्टोप जरी की जाये को है । एनएल रीक्टर
के और स्टोप को जो मुद्रा मरुभुजी 4200 रुपये नं. 1 203 जरी
की और स्टोप की मरुभुजी का कर है मरुभुजी से मरुभुजी 133 नं.

दाहि जमीन के करिव 4 नं. डोर स्टायर की माया रोज में कम दाहि
नई ही बतः रोज में कम दाहि नई की बतः रोज में कम दाहि नई डोर
स्टायर की माया 4 1/2 13700-13300 की 9-50 रुपये प्रति डोर
स्टायर की दर से राशि 38-00 रुपये की उचित मध्यम से कटौती
मुनितापन में जाये।

जी. वारनसिया 4800 दिन 18-2-2000 द्वारा एम. ए. ए. राजेंद्र
ने इन्फेन्स सैवदा वार. जी. सैवतन 0/1000 द्वारा 0-053 एम. टी.
ली. जी. वारनसिया 33660 रुपये प्रति मिट्टी टन की दर से प्राप्त
की गई है। का सी. जी. वार. सीट के मुख्य 1704-00 रुपये की वर्ष
की वर्ष 19-2000 के दौरान सैवदा में समायोजित नहीं किया गया
या बतः उपरोक्त सामग्री के मुख्य या सैवदा में उचित समायोजन
करते अनुमानित वार. जी. वार. में दिखाई जाये।

सविदाकारी के अनिवार्य किन्हीं का भुगतान में करना :

जैसे कि 'दरिद्र' का माया माया कि सविदाकारी के विभिन्न अनुबंधों
के विषय कोई भुगतान नहीं किया गया किन्हीं प्रतीत होता है कि
सविदाकारी द्वारा कार्य समाप्त किये जा चुके हैं लेकिन उनके वि-
त्त किन्हीं का भुगतान नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त बहुत से
वर्षों की पूर्ण करने की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। बतः सविदाकार
के अनिवार्य किन्हीं का भुगतान कर भुगतान में करने का अनिवार्य स्पष्ट
किया जाये तथा सविदाकारी के अनिवार्य किन्हीं का सीद्ध भुगतान
करे अनुमानित वार. जी. वार. में दिखाई जाये। सविदाकारी
के भुगतान के अनिवार्य किन्हीं का भुगतान निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	अनुबंध सं.	सविदाकार का नाम	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
1.	3 वर्ष 96-97	श्री. जयधर सिंह	16-10-97	16-10-97	16-10-97	16-10-97
2.	6 वर्ष 96-97	श्री. अ. ध. ध. ध.	16-10-98	16-10-98	16-10-98	16-10-98

सविदाकारी का भुगतान करने में 26 नं. टाईम की दर
में निर्धारित कार्य करना।
आवधिक कर्मों का अतिरिक्त
में 16 नं. टाईम प. 8 नं.
जो नं. व. 8 नं. टाईम
की कोई नं. निर्धारित कार्य
करना।

10. 5. वर्ष 97-98 श्री पुनमि नुसा 6-8-98 कृषि विभाग के अधीन
तीसरी इल्लत में विवरण सत्यापित कार्य
किया।

11. 19 वर्ष 98-99 श्री जयंत कुमार 1-9-99 जलियाँ/ सऊत विभाग व हाई
इल्लत किया निमाणि से सत्यापित
कार्य करना।

12. 5 वर्ष 99-2000 श्री जयंत सिंह 7-9-99 द्वारा धनित सि.पूर में हाई डे टाच
किया हैन इत्यादि से सत्यापित
कार्य करना।

13. 13 वर्ष 97-98 श्री विष्णु टक्कर 29-9-99 कृषि विभाग के अधीन
किया गया है. टी. एन. जी. टी. ई. एन. से सत्यापित
कार्य करना।

14. 20 वर्ष 97-98 श्री कृष्ण सिंह 14-10-99 कृषि विभाग के अधीन
किया गया है. सि.पूर में जल-कुमारी से
सत्यापित कार्य करना।

15. 7 वर्ष 96-97 श्री मदन सिंह 23-6-2000 सि.पूर में 24 न. वर्ष की
फसल में निमाणि कार्य करना।

16. जल विभाग के दौरान समायोजन अधिकारी की जगह करने पर पर्याप्त
नया जल निमाणि मजदूरी में जल की गई मजदूरी का समायोजन किया
गया जो निमाणि जल के लब्ध में सत्यापित करने के लिये सत्यापित बाधित/
जल के सत्यापित करने के दौरान नहीं किया गया। निमाणि सत्यापित
अधिकारी के सत्यापित बाधित/सत्यापित के मजदूरी जल करने का बाधित
सत्यापित जल। यह मजदूरी उन्माधिकारियों के ध्यान में
रखी जा रही है। सत्यापित जल से जल की गई
मजदूरी का विवरण निमाणि पुस्तक से है।

समय का नाम
12 वर्ष 2000-01 जल 320 टन 12,850.00 निमाणि सिमाणि
14 वर्ष 00-2001 जल 320 टन 7,00,480.00 निमाणि सिमाणि
जल 7,21,350.00

वर्षा 9 दिनांक 7.3.2000 राशि रु 3,47,100/- रुपये

अविशेष पत्रिका के अंतर्गत 4 नं. फ्लैट टाईप "डी" और 16 नं. फ्लैट टाईप "डी" के निर्माण कार्य का ठेका भी एम.के. मिशनरी सचिवालय को अनुबंध संख्या 13 वर्ष 1998-99 द्वारा दिया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में विल जिल की रिपोर्ट प्रविष्टि में मप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ 43 पर कागज है जो वर्ष 1998 पर दिया गया है। उपरोक्त विल में 153.193 क्ष मीटर पत्थर की कुल 64.40 रुपये की दर से रु 9836/- रुपये की गई है जबकि पत्र संख्या एम.पी.एम.बी.पी.-ए.बी.बी. देवगढ़ जिला /2000-2644-45 दिनांक 30.11.2000 द्वारा पत्थर की कुल की दर रु 230/- रुपये प्रति क्ष मीटर निर्धारित की गई है परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में पत्थर/बाल्टर की कुल रु 64.40 रुपये की दर से की गई है ऐसा कि अविशेष तथ्य प्रतीत नहीं होता। उपरोक्त निर्माण कार्य में पत्थर/बाल्टर की कुल रु 230/- रुपये की दर से रु 26900 रुपये की कुल अनुमानित की जाए कि अनुमानित अंश भी जमा है। दरिद्र दिखाने दिए। जबकि अन्य मदों की दर भी उक्त सचिवालय को लागू की गई थी।

विवरण: उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु विल संख्या 38 दिनांक 20.1.99, मप पुस्तिका संख्या 650 पृष्ठ 13 से 15 द्वारा स्लैब और बैल, फल, फ्लैट अथर्वन इत्यादि का 200.30 क्विंटल बाल्टर का रु 2,90,436.30 रुपये का अनुमानित रु 20 पानी की स्टील की टंकियां का रु 48,000/- रुपये अनुमानित अथर्वन के रूप में अनुमान दिया गया। उपरोक्त अनुमानित अथर्वन के रूप में अनुमानित पत्र विल संख्या 38 दिनांक 20.1.99 से अनुमानित अथर्वन में रु 10.2.20 के नवीन अनुमानित का। सी.पी.उत्कृष्ट, सी.पी.सी.सी. 10.2.20 के नवीन अनुमानित है अनुमानित "अथर्वन" अनुमानित नवीन से अनुमानित नवीन दिया गया है अनुमानित परन्तु उपरोक्त कार्य में 123.94

उपरोक्त निर्माण कार्य के अनुमानित अथर्वन अनुमानित विल संख्या 38 दिनांक 20.1.99, मप पुस्तिका संख्या 650 पृष्ठ 13 से 15 द्वारा स्लैब और बैल, फल, फ्लैट अथर्वन इत्यादि का 200.30 क्विंटल बाल्टर का रु 2,90,436.30 रुपये का अनुमानित रु 20 पानी की स्टील की टंकियां का रु 48,000/- रुपये अनुमानित अथर्वन के रूप में अनुमानित पत्र विल संख्या 38 दिनांक 20.1.99 से अनुमानित अथर्वन में रु 10.2.20 के नवीन अनुमानित का। सी.पी.उत्कृष्ट, सी.पी.सी.सी. 10.2.20 के नवीन अनुमानित है अनुमानित "अथर्वन" अनुमानित नवीन से अनुमानित नवीन दिया गया है अनुमानित परन्तु उपरोक्त कार्य में 123.94

परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में सम्बन्धित प्रमाण कम अभिलेख में मौजूद नहीं है। जिस की प्राप्ति तथा प्रस्तुति सुनिश्चित की जाए।

वा.सं. 9 दिनांक 20-7-2000 तारीख 62,762/ए.ए.ए.

[क] कमिशनर कम्पलेक्स के अन्तर्गत कैटेरिंग के निर्माण कार्य
1 ठेका 'ए. सायका जीओपरेटिव सोसायटी' स्पेशल पावर ब्रॉनों
की एम.के.मिलानी संविदाधार की अनुमति संख्या एच.पी.एन.बी.पी.
[डी.] 2 वर्ष 2000-2001, बार्ड फॉर सेंटरा डिप्टो न.पि.प्रा.डी.
-अकाउंट-7/2000-94-99 दिनांक 3.5.2000 द्वारा रु. 6,38,089
की की राशि का दिया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य 1 दितीय चलत छिल जिस की रिपोर्ट
एवं लागत प्रविष्टियां माप पुरिक्ता संख्या 267 रु. 1 से 30 तक की
पांच करने पर पाया गया कि माप पुरिक्ता की 267 पृष्ठ 37 रुक
चलत छिल में निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 3.5.2000 अंतिम
की गई है जबकि दितीय चलत छिल में 3.6.2000 कार्य गई है।
पर निर्माण कार्य मुख्य प्रशासक नगर विकास प्राधिकरण के फॉर संख्या:
एच.पी.एन.बी.पी. [डी.] / ए.ए.ए. / 2000-35 08-11 दिनांक 3.6.2000
द्वारा रॉड दिया गया जो तब निर्माण कार्य की रिपोर्ट प्रविष्टियां
3.6.2000 की पूरी की गई जाते कि अधिकांश अधिमन्ता है फॉर की
ए.पी.एन.बी.पी. [डी.] - अकाउंट-7/2000-884-86 दिनांक
26.12.2000 की कि मुख्य प्रशासक, नगर विकास प्राधिकरण की
सम्पत्ति छिल गया था। अधिमन्ता है दौरान यह पाया गया कि यह
निर्माण कार्य पूरा होना जाना सम्भव नहीं था जो कि अनुमति की
लाभ 13-11 अनुमति दान्य दिया जाना चाहिए था तथा संविदाधार
के पास चलता पड़ी निर्माण सामग्री की शीट भंडार की छोटी कम
करे चाहिए दिया जाना चाहिए था। का काम की अनुमति न
करने का अधिमन्ता स्पष्ट दिया जाए तथा जो गई कार्यवाही है
कैम्प की अन्त करवाया जाए।

[ख] अनुमति की संख्या 6-डी.डी. वा. जिस की रिपोर्ट एवं ला
लागत प्रविष्टियां माप पुरिक्ता संख्या 267 पृष्ठ 34 पर लागत है
की पांच करने पर पाया गया कि प्रीमियम 13-632 (ए.ए.ए.)
कार्य निष्पादित किया गया तथा रु. 3,939/ए.ए.ए. का भुगतान

जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका की 688 पृष्ठ 18 पर दी गई रिवाज प्रविष्टियां मध्य लंबाई 9/8-बाई "है पैक स्टोन फिलिंग विहान्ड रिटैनिंग/वातन की निम्न प्रकार की गई थी :-

$$\begin{aligned}\text{पैनल ए"बी"} &= 1 \times 4.70 \times .60 \times 3.00 = 8.46 \\ &= 1 \times 6.23 \times .60 \times 3.00 = 11.27 \\ &= 1 \times 6.00 \times .60 \times 2.70 = 9.72 \\ &\quad \underline{29.39}\end{aligned}$$

परन्तु माप पुस्तिका लंबाई 688 पृष्ठ 17 पर पैनल की लम्बाई 4.32 मीटर, $B^1 B^2 B^3$ की लम्बाई 3.54 मीटर तथा $B^3 B^4 B^5$ की लम्बाई 5.54 मीटर काई गई है इस प्रकार उपरोक्त प्रविष्टि निम्न प्रकार की जानी वांछित की :-

$$\begin{aligned}\text{पैनल ए"बी"} &= 1 \times 4.32 \times .60 \times 3.00 = 7.78 \\ \text{बी"बी"बी"बी"} &= 1 \times 5.54 \times .60 \times 3.00 = 9.97 \\ \text{बी"बी"बी"बी"} &= 1 \times 5.54 \times .60 \times 2.70 = 8.97 \\ &\quad \underline{26.72 \text{ क्ष.मी.}}\end{aligned}$$

इस प्रकार 2.67 क्ष मीटर $[29.39 - 26.72]$ स्टोन फिलिंग हेतु $300/\text{क्ष.मी.}$ प्रति क्ष मीटर की दर से रु 801/- रुपये का अधिक भुगतान की तोड़ कुली की जाए।

[उ] उपरोक्त निर्माण कार्य की मध्य लंबाई 7/8 "ग्रीवाइडिंग टॉर स्टोन रिटैनिंग/वातन" की रिवाज प्रविष्टियां पृष्ठ 16 पर निम्न प्रकार की गई है :-

इस मामले में $B^6 B^7 B^8$ की

रिवाज प्रविष्टि की	की जानी की	अधिक किया गया
16 एमएम $4 \times 4 \times 1.95 = 62.40$	$4 \times 4 \times 1.95 = 31.20$	31.20
12 एमएम $4 \times 4 \times 1.95 = 31.20$	---	---
16 एमएम $3 \times 3 \times 1.95 = 46.80$	$3 \times 3 \times 1.95 = 23.40$	23.40
10 एमएम $3 \times 3 \times 1.95 = 23.40$	---	---

मिलाने पर $62.40 - 22.20 = 40.20$

$$\begin{aligned}\text{पल्ले की मध्य लंबाई} &= 3.6 \times 3.6 \times 1.95 = 25.20 \\ 16 \text{ एमएम } 4 \times 4 \times 3.45 &= 53.20 \\ 8 \text{ एमएम } 4 \times 4 \times 2 \times 1.15 &= 92.00 \\ &\quad \underline{92.00 - 69.00 = 23.00} \\ &\quad \underline{40.20 + 23.00 = 63.20}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{कुल करिया की मात्रा} &= 8.97 + 108.07 = 117.04 \text{ म.मी.} \\ &\quad \underline{63.20} \\ &= 180.24\end{aligned}$$

अतः 117.04 डिग्रीग्रास सरिवा की 22 रुपये की दर से 2574.88 रु.
के अधिक भुगतान की सीधे वक्तूरी सुनिश्चित की जाए।

1. ग) मद की 3/3 "फार्म वर्क इन वालन" में
5⁶ 5⁷ 5⁸, की 6⁶ की 7⁷ की 8⁸

रिपोर्ट प्रिन्ट की गई की जानी की

9x2] .33x .48] 0.70=10.20 6x2] .33x .48] 0.70= 6.80

अतः 3.40 वर्ग फुट [10.20-6.80] का 60/= रुपये प्रति
वर्ग फुट की दर से कु 204/= रुपये की राशि की सीधे वक्तूरी सुनिश्चित
की जाए।

1. क) अनुबंध की मद संख्या 1/1 "कटिंग इन वर्क वर्क इन वाल
ऑफ्ट ऑफ सावक एव. एज. पीड वर्क, जपर वर्क, क्लारिफिंग वर्क,
चिजिंग इत्यादि" की कार्य मात्रा माप पुस्तिका संख्या 748 पृष्ठ 48
के अनुसार 1799.06 क्ष मीटर का भुगतान 130/= रुपये प्रति क्ष मीटर
की दर से कु 2,66,339/= रुपये का किया गया परन्तु उपरोक्त
निष्पादित कार्य मात्रा में से कोई भी सर्वेक्षण [उपयोग योग्य]
सामान प्राप्त नहीं किया जाया है तथा न ही इस सम्बन्ध में
माप पुस्तिका में वांछित प्रमाण पत्र दिया गया है। उपरोक्त छद्मार्थ
वै सर्वेक्षण मंदिरपाल [उपयोग योग्य सामान] का प्राप्त न करने का
वांछित स्पष्ट करने के साथ 2 आशानी कार्यवाही से अंतिम की
जाना सरवाया जाए।

माप पुस्तिका संख्या 699 पृष्ठ की 13 के अनुसार कु 1000/= रुपये
विधिवत है द्वितीय घलत का है "विद्वैत फार वौलर"
के 178 पर है तथा कुछ प्रमाण, नगर विभाग प्राधिकरण के फा की
एन.पी.एन.पी.पी.-ए.पी.पी.पी.-देवेंद्र जगता/2000-3644-43
के 30-11-2000 द्वारा पत्रों की सीमा की वक्तूरी निम्न
प्रकार कु 230/= रुपये प्रति क्ष मीटर की दर से सीधे किया गया
का :-

पि.ए. का.वार, 1999

आर. वर

एव. 1. पि.पी. वार्ड नौमिकल

टाइपार्ड

एव. फार है मीटर

12.00

72.77

31.03

222.60

कु 230/= रुपये प्रति क्ष मीटर की दर से सीधे किया गया

परन्तु उपरीक्त कुदाई से कोई भी पत्तर प्राप्त नहीं मिलेगा ।
 जब कुदाई से पत्तर प्राप्त नहीं मिले जाने के लिये पत्तरों के वीरुत की
 वकूती के दूर निर्धारित करने का अधिकार स्पष्ट कि आप तथा
 तथ्यों की जानकारी करने वाली अधिकारियों/अधिकारियों के विरुद्ध
 कार्यवाही करने में लाई जाए ।

[उ-1] अधिशासी अभियन्ता निर्माण कठल-7 के फा संख्या: एम.पी.
 एम.पी.पी.-[डी-1]-कठल-7/2000-1245-47 दिनांक 12.1.2001
 के अनुसार तथिदाता को उपरीक्त कार्य से ली गई कुदाई सामान
 भण्डार को वापस करने का और यदि ली गई सामान वापस नहीं किया
 गया तो कभी कलत कि न निर्माण सामग्री की वकूती पर ली जाएगी
 परन्तु माप पुरस्का संख्या 748 पृष्ठ 60 द्वारा बताया जाता कि
 रु 12,29,300/- रुपये का दिनांक 14.2.2001 को पारित किया
 गया तथा तथिदाता को भुगतान किया गया किन्तु ली निर्माण
 सामग्री को तथिदाता के पास नहीं थी की वकूती उपरीक्त कलत कि
 से नहीं ले गई । जाता वही पृष्ठ 12 तथा माप पुरस्का संख्या
 748 पृष्ठ 60 के अनुसार तथिदाता के पास विभिन्न माप का
 1.350 मि.टन लोहा पड़ा है कि ली वकूती अधिशासी अभियन्ता के
 उपरीक्त एम.पी. आधार पर की जानी अपेक्षित थी । उपरीक्त सामान
 को वकूती तथिदाता से न करने का अधिकार स्पष्ट करने के साथ-2
 अनुबंध में तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुमानित आकार
 के अनुसार निर्धारित जाए ।

[उ-2] उपरीक्त निर्माण कार्य से ली गई कलत कि कि ली सामान
 प्राविष्टिक माप पुरस्का संख्या 748 पृष्ठ 60 पर की गई है के अनुसार
 रु 12,29,300/- रुपये का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया है जब
 कि निर्माण कार्य रु 8,41,714/- रुपये का काट दिया गया था ।
 एम.पी. रु 3,97,586/- रुपये द्वारा ली का अधिकार दिया गया
 है कि रु 46.03% अधिक है । क्या न उत्पादित अधिकारी द्वारा
 ली सामानों के लिए अधिकार स्पष्ट करने के अतिरिक्त कि निर्माण से
 प्राप्त अधिकारों के लिए प्राप्त किए गए तथ्यों के लोभित प्राप्त करने
 अनुमानित या अनुमानित तथ्यों के अतिरिक्त निर्धारित किया जाए ।

की कुल लागत रु 81,07,067/- रुपये एवं पुनो की जमाक उपरौजा निर्माण कार्य रु 60,00,034/- रुपये का क्वार्टर किया गया है। जहाँ प्रारंभ रु 21,79,033/- रुपये का क्वार्टर का किया जा चुका है जो 36-27% वर्धित है। जहाँ में वसाधित क्वार्टरी कार्य ठोस कार्यो तापित जातिरुप स्पष्ट करने के विधिरि त वसा निर्माण कार्य के सम्बन्धित। क्वार्टर प्रमाणित एवं कमीशन स्वीकृति प्राप्त करके अनुमाना का स्थापन वातनी वीक्षण के दौरान रखाया जाए।

जहाँ उपरौजा निर्माण कार्य के प्रौक्तता के जो कार्य करने पर प्रमाणित एवं अनुमान के अनुसार निर्माण कार्य को माँ की माया में और तत्पश्चात में जो कार्य हुआ है उसे निर्माण के रवाना कर दिया गया है। जहाँ क्वार्टर निर्माण के सम्बन्ध में कार्य के दौरान वीक्षण के दौरान जमाक रखाया जाए और जो कार्य जातिरुप स्पष्ट करने के विधिरि त वसा निर्माण कार्य के सम्बन्धित। जहाँ क्वार्टर निर्माण कार्य के दौरान रखाया जाए और जो कार्य जातिरुप स्पष्ट करने के विधिरि त वसा निर्माण कार्य के सम्बन्धित।

मदत. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	वास्तविक लागत	अंतर	अंतर %
1. निर्माण एवं वर्क वर्क	765.65 धनो.	2326.10	1260.45	165%
3. पक्का कार्य				
(1) 100 फीट चौड़ाई	359.19 धनो. मो.	1610.24	751.05	87%
(2) 100 फीट चौड़ाई	333.76 -"	1043.62	507.86	95%
(3) 100 फीट चौड़ाई	723.89 -"	1321.64	597.05	83%
(4) 100 फीट चौड़ाई	899.28 -"	1313.43	614.20	68%
6. प्रौक्तता एवं लेविंग				
(1) 100 फीट चौड़ाई	117.33 धनो. मो.	173.30	52.95	43%
(2) 100 फीट चौड़ाई	174.69 -"	343.13	168.49	96%
(3) 100 फीट चौड़ाई	47.13 -"	156.11	108.96	231%
(4) 100 फीट चौड़ाई	32.65 -"	113.10	62.51	119%
(5) 100 फीट चौड़ाई	4.51 -"	11.06	6.53	143%
10. प्रौक्तता एवं लेविंग	44860.33 -"	933.11	43963.64	90%
17. 35 फीट चौड़ाई निर्माण	110.43 धनो. मो.	177.60	67.17	61%
18. 100 फीट चौड़ाई निर्माण	4.3 धनो. मो.	22.10	13.02	343%
19. स्टील कार्य एवं लीटिंग	93.43 धनो. मो.	126.28	30.82	32%

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि संपिदाकार को दिनांक 8-7-98 को 10 पानी की टैंकों का कु 3000/- रुपये की दर से कु 54000/- रुपये की राशि का भुगतान कृषिगत लव से किया गया तथा संपिदाकार को वार्षिक लाभ पहुँचाया गया जो कि अनियमित है। अतः कु 54000/- रुपये की राशि के अनियमित भुगतान के कारण दिनांक 8-7-98 से अंतिम तक की कृषि लव कण्ड चयन की गन्ना की जाय तथा नगर विभाग प्राधिकरण से उाटे में जमा किया जाय तथा दीर्घावधि के विरुद्ध उचित कार्यवाही करके कृषिगत लव गन्ना वीक्षण के दौरान दिखाई जाय।

आउटर सीमा 22 दिनांक 16-2-92 डा. 1.62.090/- रुपये

उक्त आवासीय परिसर न्यू सिविका 'ब' ब्लॉक 4 नं. टार्वेप "बी" 12 नं. टार्वेप "सी" फ्लैट में निर्माण कार्य का ठेका श्री जे. एल. गोदान को अनुबन्ध संख्या 22 वर्ष 97-98, कार्ड फा. सं. वा. वि. पु. नं. वि. प्रा. डी-1 : कांजल-7/97-1314-20 दिनांक 13-10-97 द्वारा कु 50,90,062/- रुपये का दिया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11वें चलत दिन की लागत/ रिजर्व प्रथि ज्ञात माप पुरिक्ता से 700 फुट 10 से 51 तक की गई है जो कार्य करने पर पाया गया कि 11वें चलत दिन तक कु 66,06,808/- रुपये की राशि उपरोक्त निर्माण पर व्य. की जा चुकी थी कि निर्माण कार्य कु 50,90,062/- रुपये का कार्ड किया गया का प्रारंभ कु 17,96,826/- रुपये अधिक व्य. किए गए थे जोकि 33.50% अधिक है। अतः में तत्वा. के मा.सी. धारे उक्त कारणों से उचित जांचित स्पष्ट किया जाय तथा एत निर्माण कार्य से सम्बन्धित संपिदाकार प्राधिकरण एवं लवनी के स्वीकृति प्राप्त करके कृषिगत लव गन्ना वीक्षण के दौरान दिखाई जाय।

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11वें चलत दिन की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य गद्दी की जा गया है और वास्तव में जो कार्य हुआ है उसे अनियमित रूप से किया गया है। अतः में तत्वा. के मा.सी. धारे उक्त कारणों से उचित जांचित स्पष्ट किया जाय तथा एत निर्माण कार्य से सम्बन्धित संपिदाकार प्राधिकरण एवं लवनी के स्वीकृति प्राप्त करके कृषिगत लव गन्ना वीक्षण के दौरान दिखाई जाय।

वर्ग का विवरण	कुलान्ध कमाल नोटा	वास्तविक वर्ग फुट	अन्तर	अन्तर %
1. ग्रेडिंग वर्क	830.35 वर्गमी.	3619.45	2789.10	336%
2. पक्का बांधवाला वर्क	601.91 -"-	1230.86	678.95	113%
3. पी.एलसी. सी. 1:2:4	12.32 -"-	214.00	101.68	91%
4. पी.एलसी. सी. 1:2:4	171.86 -"-	284.49	112.63	66%
5. स्टेयर केस	3.52 -"-	7.44	3.92	111%
6. प्रोवाइडिंग टोर स्टील 4974 कि.ग्रा.	83319	39345	85.26%	
7. डेक स्टॉन	12.04 वर्गमी.	534.66	409.62	328%
8. डीक वर्क	14.36 वर्गमी.	33.26	20.70	142%
9. स्टील वर्क सेल्ड	89.60	140.54	50.94	57%
10. एन रोल्ड स्टॉन	4-विटल	38.42	18.54	93%
11. ग्रेडिंग रकल मेनरी	19.83	136.53	121.50	807%
12. ग्रेडिंग रकल मेनरी	15.05			

67. वाऊर संख्या 52 दिनांक 30.6.2000 राशि 1,04,436/-

{व} कमरिशनल कम्प्लेक्स के अधीन ब्लॉक नं. 1 में टाकलेट ब्लॉक के ऊपर एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण कार्य के ठेका श्री कमलोर सिंह से विदावार को अनुबन्ध संख्या 12 वर्ष 2000-2001 द्वारा रु 33,267/- रुपये का अर्बार्ड प. सं. ए.पी.एन.वी.पी. (डी)-अर्बार्ड -7/2000-316-22 दिनांक 13.6.2000 का दिया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य में प्रथम चलाया कि जिस की लागत एवं रिजर्व प्रविष्टियां माप पुष्टि संख्या 264 पृष्ठ 27 से 37 तक की गई है की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 14/21 " 15 एम.एम. सीमेंट ब्लास्टर " की रिजर्व प्रविष्टियां पृष्ठ 30 की जांच करने पर पाया गया कि 42-42 वर्ग मीटर का भूभाग संविदावार की 40% रुपये प्रविष्टि मीटर की दर से लिया गया था जब कि 2 सेन्टीलेटर की कटौती $2 \times 2 \times 00 \times 30 = 2.00$ वर्ग मीटर की सीमेंट ब्लास्टर से ले की जानी। वास्तविक की परन्तु उपरोक्त कटौती न करने से कारण संविदावार की 2 वर्ग मीटर का 40% रुपये प्रविष्टि मीटर की दर से 80.00 रुपये का अधिक भुगतान की तीसरी सूची सुनिश्चित

इसी प्रकार मदन सिंघा 16/23 "फेनिशिन बाल सिंद बाटर फुटिंग सीमेंट पेंट में कार्य मात्रा 42542 वर्ग मीटर का भुगतान किया गया है जब कि वेन्टीलेटरों को ठहराती 2 वर्ग मीटर का 18 रुपये की दर से 36.00 रुपये का अधिक भुगतान को शीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना आसानी उद्देश्य से दौरान दिखाई जाए ।

राज्य की कुल आबादी 13-9-99 तक 2,36,273/- थी

{न} कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वर्तमान 42 नंबर प्लॉट है निर्माण कार्य
रा ठेका मै. वी.डी. चिखर को अनुबंध अंतर्गत 8 जून 1998-99, आई
फा सीआ एच.पी.एन.जी.सी.-[डी] क्वांटिटी-7/98-592-98 दिनांक
6-7-98 द्वारा रु 79,86,936/-की राशि दे दिया गया ।

6-7-98 उमरा मु 19,00,953/...

उपरोक्त निर्माण कार्य के पश्चात् चलत रिल जिं. की लागत
प्रतिपेटीयां माफ प्रविष्टता संख्या 237 पृष्ठ 1 से 48 तक को जांच करने
पर पाया गया कि अनुबन्ध कीमत संख्या 1, 2 व 3 कटिंग इन बर्क वर्क
एक्सावाकेशन इन बर्क वर्क/एक्सावाकेशन इन फाउण्डेशन ट्रेवेल को कुल कार्य
मात्रा $3137.33 + 40.09 + 625.66 = 3803.08$ क्ष मीटर का पीक
वर्क/अम्पर वर्क/क्लासिफिकेशन वर्क/विकल मि/वीजिंग बावर आफ रीक इत्यादि
का कार्य लिया गया है। अनुबन्ध की उपरोक्त मदों की शर्त के अनुसार
उपरोक्त मदों की खुदाई से प्राप्त उपयोग योग्य सामान नष्ट विपन्न
प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। परन्तु, 5वें चलत रिल तक उपरोक्त
खुदाई से केवल 60 क्ष मीटर पत्थर ही प्राप्त किए गए तथा संविदाधार
की कु. 233.60 रुपये प्रति क्ष मीटर की दर से जारी किए गए तथा
पूरा किया गया है। उपरोक्त खुदाई की 3803.08 क्ष मीटर को खुदाई
से उपयोग योग्य पत्थरों की केवल 60 क्ष मीटर की मात्रा का ही प्रतीत
नहीं होती। इस बारे में जांच पड़ताल करते पत्थरों की उचित मात्रा
प्राप्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनुमानित मात्रा की पूर्ति के दौरान
खिलाई जाए।

[illegible]

प्रद. सं.	मद का विवरण	निष्पादित कार्य मात्रा	आंशिक दर	भुगतान की गई राशि रुपये
10/अतिरिक्त	बार-बार-मानसी	93.08 क्षमी.	1300/-	1,21,004/-
16/अतिरिक्त	पी-एल-सी-सी-1:3:6	109.05 क्षमी.	1400/-	1,52,670/-

वाउचर संख्या 31 दिनांक 16-9-99 राशि 4,32,238/- रुपये

1] जिला स्तरीय परिसर की सी-फ्ल-फे-गा न्यू रो-सा से 2,23,000, सीटर डेपि सिटी जन्तर ग्राउंड पानी के टैंक के निर्माण कार्य का ठेका श्री सुनील कुमार तंविदावार को अक्टूबर संख्या 20 वर्ष 1998-99 तथा अपार्ट फा संख्या 110 प्रो नगर विकास प्राधिकरण सी-1] क्वार्टर-7/98-1149-35 दिनांक 26-11-98 द्वारा रु 5,23,500/- रुपये की राशि का दिया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य के पाँचवें चरण के लिए जिस ओ रिकार्ड एवं लागत प्रविष्टियां माप पुष्टि संख्या 692 पूछी। से 30 तक की जाय करने पर पाया गया कि मद संख्या 1/1 "कटिंग इन वर्क-वर्क" की कार्य मात्रा माप पुष्टि संख्या में क्षतिग्रस्त है। सी-फ्ल-फे-गा से अधिक खोदाई गई है जिस से कारण तंविदावार को निम्न प्रकार अधिक भुगतान दिया है जिस की सी-फ्ल-फे-गा सुनिश्चित की जाए :-

माप पुष्टि संख्या माप क्षतिग्रस्त कार्य मात्रा क्षतिग्रस्त पानी की अधिक मात्रा क्षतिग्रस्त
पु.वा.सी 692

$$\begin{aligned}
 3/3/08 & \frac{1 \times 5 \times 2.50 \times 2.70}{2} = 16.88 & \frac{1 \times 5 \times 2.50 \times 2.60}{2} &= 16.25 & 0.63 \\
 4/09/11 & \frac{1 \times 3 \times 2.50 \times 3.40}{2} = 12.75 & \frac{1 \times 3 \times 2.50 \times 3.25}{2} &= 12.18 & 0.57 \\
 3/11/13.25 & \frac{1 \times 2.25 \times 2.50 \times 3.30}{2} = 10.69 & \frac{1 \times 2.25 \times 2.50 \times 3.30}{2} &= 9.25 & \frac{1.44}{2.61}
 \end{aligned}$$

का प्रकार 2.61 क्षमीटर मिट्टी खोदाई की 45/- रुपये प्रति क्षमीटर की दर से 117.45 रुपये की अधिक भुगतान की बचत की जा

...

10] इस निर्माण कार्य के पाँचवें चलत जिल की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य मशीनों की मात्रा में और वास्तव में जो कार्य हुआ है, में निम्न विवरणानुसार बहुत अन्तर है। इसकी वजह से मात्रा में विचलन के सन्दर्भ में कार्रवाई से बागानों की देखभाल के दौरान अवगत कराया जाए और इस बारे में जाँच के स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता का तत्काल बाधकारी से स्वीकृति लेकर नियमितकरण कराया जाए :-

कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा	चलत जिल तक कार्य हुआ	अन्तर	अन्तर
मिट्टी की खुदाई	358.79 धनमी.	538.54 धनमी.	199.75 धनमी.	55.67
फर्श एवं इन पक्काई	9.71 वर्गमी.	36.64 वर्गमी.	26.93 वर्गमी.	277
अन्य एण्ड फुटिंग				
पी.एल. 1:4:8	16.66 धनमी.	40.84	24.18	145
पी.एल. सी.सी. 1:6:12	2.73 धनमी.	6.44	3.71	136
बन्नाड़ी सीमेंट सलरी	113.49 धनमी.	337.49	224	197
बार. बार. सैलरी	31.85 धनमी.	142.70	110.85	348
इन एण्ड फुटिंग				
है. पैक स्टोन	29.40 धनमी.	119.85	89.85	303
फोर्टिंग				
10एम.एन.सी. सेंट	241.91 वर्गमी.	337.49	95.58	402
साइटर				

70. बाउण्डरी स्टिप्प 19 दिनांक 13.9.99 राशि 5,53,394/- रुपये।
 [1] आवासीय परिसर की सी.सी.ए.पेज-टाट्टा के अन्तर्गत 8 नं. टार्पिंग "सी" के अंतर्गत 8 नं. की फोर्टिंग के लिए कार्य का ठेका की बार.डी. फोर्टिंग विभाग की अनुबंध के अंतर्गत 23 वर्ष 1997-98, बार्ड फोर्टिंग की सी.सी.ए.पी.पी.डी. 7/97-1439-63 दिनांक 11.11.97 द्वारा रु. 47,90,383/- रुपये की राशि पर दिया गया।
 उपरोक्त निर्माण कार्य के 22वें चलत जिल जिला की अगस्त 2001 में कार्य पूरित होने पर 740 रु. 1 से 50 तक कार्य है के अनुसार रु. 64,26,224/- रुपये का निर्माण कार्य विभाग के विभाग है जो कि रु. 47,90,383/- रुपये का निर्माण कार्य बार्ड के द्वारा रु. 16,35,839/- रुपये की राशि पर अगस्त 2001 में कार्य पूरित है। कार्य में अगस्त 2001 की राशि पर कार्य पूरित है।

कारणों सहित अधिष्ठित स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य के सम्बन्धित संबंधित प्रभावित एवं लक्ष्य की स्वीकृति प्राप्त करने अनुमति का संस्थापन आगामी अक्टूबर के दौरान करवाया जाए।

1] अनुसंधान संख्या 10 " प्रौद्योगिकी टोर स्टील" जि. की रिपोर्ट प्रविष्टियाँ माप पुरिस्ता त 640 फुट 89 पर 8 एम्एम त्रिधा की गणना 1365.16 रनिंग मीटर के स्थान पर 1570.16 रनिंग मीटर की गई है इस प्रकार 5.00 रनिंग मीटर @ 0.39 को दर से 1.98 किलोग्राम का अधिक भारान किया गया है तथा माप पुरिस्ता संख्या 596 फुट 72 पर 19.20 रनिंग मीटर 8 एम.एम. त्रिधा लोन्गता 12 एम.एम. की गई है जिस के कारण 19.20 रनिंग मीटर का 4.95 कि.ग्रा. की दर से 9.51 किलोग्राम का अधिक भारान किया गया है। अतः $1.98 + 9.51 = 11.49$ किलोग्राम का 19.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कु 225.6 रुपये के अधिक भारान की सीढ़ काली की जाए तथा अनुमति आगामी अक्टूबर के दौरान प्रसारित जाए।

वाउचर संख्या 18 दिनांक 15.3.2000 राशि 83,700/- रुपये

आवासीय परिसर बी.सी.एस.फेज-11A न्यू सिविल के अन्तर्गत बांणिक रुकन के निर्माण कार्य का ठेका श्री सुनिता मल्होत्रा को अनुसंधान संख्या 17 वर्ष 1999-2000, अक्टूबर का संख्या एम.पी.एम. पी.पी-1] अक्टूबर-7/99-001-87 दिनांक 3.9.99 द्वारा कु 10.18,942/- रुपये की राशि का किया गया।

1] उपर्युक्त निर्माण कार्य के पूरा करने के लिए जि. की रिपोर्ट एवं माप प्रविष्टियाँ माप पुरिस्ता 600 फुट 23 से 36 तक की जाए करने पर पाया गया कि मद संख्या 5/3 [वी] प्रौद्योगिकी एण्ड लेकि मैकाल निवाट एण्ड वायवरेट सीमेंट कन्टीट यह इन 1:2:4 का कन्टीट काली" में फलीन्ड चीन एवी 3.4.84 की कार्यवाही $23 \times 0.3 \times 23 \times 30 = 0.701$ की गई है इस कि कर्म काली माप पुरिस्ता 600 फु 26] में यह कन्टीट 2.4.33.1.30 की गई है इस प्रकार 1:2:4 में यह माप $2.4 \times 33 \times 23 \times 3 = 0.627$ मीटर की जानी थी इस प्रकार 0.074 का मीटर का 1925/- रुपये की दर से 142.45 रुपये का अधिक भारान किया गया।

.....

[14] इसी प्रकार जी=2 बीम बी¹बी², बी²बी³, बी³बी⁴ के लिये माप 3x2.77x.30x.30 = 0.747 क्ष मीटर की गह है जहाँ कर्म वर्ग है 3x2.77 x30 की गह है इस प्रकार 1:2:4 में यह माप 3x2.77x.23x.30 = 0.57 क्ष मी. इस प्रकार 0.177 क्ष मीटर [0.747-0.57] का 198/- रुपये की दर से 340.75 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः 483 रुपये [142.43 + 340.75] है अधिक भुगतान की तीस कबूली तयिदावार से जो जाय तथा अनुपातना वागानी बीमा है दौरान दिखाई जाय।

वाउचर सं. 4: 39 दिनांक 28.6.2000 राशि 36,747/- रुपये

[15] कमर्शियल कम्पलीक है कलोन पब्लिक टाकीट है उमर अतिरिक्त गेज है निर्माण कार्य का ठेका श्री कभीर सिंह तयिदावार की अनुमति लीया 3 वर्ष 2000-2001, क्वार्ट फ सँख्या 1090 न.वि.ग्रा. [डी.-अपडेट-7/2000-13243 दिनांक 11.5.2000 अरा कु 94030/- रुपये का किया गया।

उपरोक्त निर्माण कार्य है द्वितीय एवं अन्तिम कि. 8 कि. की राई एवं जा गत प्रविष्टि का माप पुरितता लीया 264 फुट 9 से 20 फुट की माप करने पर पाया गया कि कि अनुमति की गह ली 2/2 "बी.एल.बी.बी. 1:2:4 इस बीम में फुट 10 पर 3x4.75x.23 x.25 = 0.82 क्ष मीटर का भुगतान किया गया है जहाँ कर्म वर्ग में माप लीया 3x3.13x.23x.25 = 0.54 क्ष मीटर का भुगतान किया गया है इस प्रकार 0.28 क्ष मीटर [0.82-0.54] का 2000/- रुपये की दर से कु 360/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया कि की तीस कबूली में जाय।

[16] अनुमति की माप लीया 6/0 "स्टी" वर्क कैलेंडर इन विल्ट ज पौशा "से 9.5" से ग्रा. नरिया का भुगतान 28/- रुपये की दर से 276.64 की ग किया गया है जब कि नरिया का भुगतान यह की ग 3/3 "प्रोवापडिंग माफ/टोर स्टोन" में 20 रुपये 50 की की दर से कु 202.54 रुपये का किया गया है जो अधिक भुगतान की की गई कु 74.10 [276.64-202.54] का राशि का माप ली की जाय।

19. उपरोक्त पैरा [ख] में 0.20 धन मीटर सीमेंट क्रीट 1:2:4 के निर्माण कार्य निष्पादन हेतु $0.20 \times 6 \times 40 = 1.00$ सीमेंट की बारी की अधिक उपलब्धता की काली संधिदावार से 122/मन्ने प्रतिमोरी कठ अवाज सहित करके अनुमाना बागानी बजेट के दौरान किया जाय ।

15. अधिका के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य, कार्य आदेशों द्वारा निष्पादित किए गए परन्तु वे कार्य कठन द्वारा निर्धारित अवधि से अन्दर पूरे नहीं किए गए तथा न ही बोलिरे का समय अवधि की सहाय्य अधिकारी की स्वीकृति ही तो गई । कार्य आदेश के अन्तर्गत ।। वे कठन र संधिदावार के अन्तर्गत निर्माण कार्य की निर्धारित समय अवधि में निष्पादित नहीं किए जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा निर्माण कार्य अन्तर्गत संधिदावार की श्रुतान किया गया जो कि अनियमित है । संधिदावार के अन्तर्गत कार्य आदेश की उपरोक्त अन्तर्गत ।। वे कठन र कार्यवाही न किए जाने का अर्थित स्पष्ट किया जाय तथा की गई कार्यवाही से अन्तर्गत की अन्तर्गत करवाया जाय :-

दिनांक	कार्य आदेश संख्या:	आप पुलिसकी त. व फुल	कार्य आदेश की तिथि	कार्य समाप्त किया गया	कार्य समाप्त किया जाना	कार्य समाप्त राशि
00	13 फर 98-99	207/92-93	25.6.98	25.6.99	9.7.98	17443.00
00	33 फर 98-99	255/98-99	3.3.99	30.6.99	19.8.99	2531.00
00	11 फर 99-00	266/20-24	1.7.99	31.7.99	15.7.99	18121.00
00	44 फर 96-97	13/97-98	15.10.96	20.10.96	29.10.96	5397.00
99	13 फर 99-00	207/60-62	20.8.99	3.9.99	कार्यकारी	21574.00
99	14 फर 99-00	173/90-92	12.8.99	25.9.99	26.8.99	30000.00
00	30 फर 99-00	253/24-26	25.2.00	10.3.00	कार्यकारी	10486.00
00	20 फर 99-00	239/94-97	2.10.99	6.3.00	16.10.99	4983.00
00	29 फर 98-99	239/93-96	21.8.99	30.6.99	27.8.98	13836.00

74.

संख्या-37 दिनांक 27.6.00 राशि 59,274/मन्ने

सांख्यिक बागानीय योजना के अन्तर्गत दिनांक-9 के अन्तर्गत शीत स्की, आ. नं. 22 के अन्तर्गत के निर्माण कार्य का अन्तर्गत परीक्षा दिनांक संधिदावार की अन्तर्गत त. व 3 वर्ष 1999-2000, अन्तर्गत

कम तबथा एच.पी.न.वि.प्रा.।टी।-वडाज-7/99-197-203
दिनांक 23.6.99 द्वारा कु 4,38,830/- रुपये रा.क. वा दिया
गया ।

उपरोक्त निर्माण कार्य के चौड़े एवं अन्तिम कि कि के
मानक एवं रिजर्व प्रविष्टियां माप पृथक् तबथा 36। फुट । से
36 तक की अधिक करने पर पाया गया कि अतिरिक्त भूद की 3/3"
पॉन्टिंग वान रैन्डम रकल वान कोर्ट स्टोन मैमरी विद तीनेन्ट
मास्टर 1:3 कि की रिजर्व प्रविष्टियां फुट 26-27 पर की गई
है वा भूतान 95.03 वर्ग मी.पर का 40/- रुपये की दर से किया गया
उपरोक्त भूद के दर विवेक का माप करने पर पाया गया कि
तीनदा से की कि 100 मानक दर सूची, 1987 की मद तबथा
17-121 है अनुसार रैन्डम एण्ड कट" पॉन्टिंग वा दिया गया है
जब कि रिजर्व प्रविष्टि फु 26-27 तथा दर विवेक में कि
प्रकार की पॉन्टिंग की गई है वा कोई किसी नहीं विषयका है
जब कि तीविदालार की भूतान रैन्डम एण्ड कट" की दर से किया
जा रहा है । किवाही मजदूर द्वारा निम्न प्रकार की दर विवेक
जमाया गया है :-

पॉन्टिंग वान रैन्डम रकल कोर्ट स्टोन मैमरी विद
ती.पम.1:3

रे.पु.का.वार, 1987

दर

= 11.80

एण्ड 238.88% अधिक वान प्रीमियम = 28.19

दर निर्धारित की गई = $\frac{39.99}{39.99} = 40.00$ रुपये

तीविदालार की भूतान रैन्डम एण्ड कट" वा निम्न प्रकार किया
गया वा :-

रे.पु.का.वार, 1987 द्वारा दर 6.80

एण्ड 239.88% प्रीमियम

$\frac{16.24}{23.04} = 23.00$

भूतान रैन्डम एण्ड कट" भूतान रैन्डम एण्ड कट" अति भूतान

95.03 x 40 = 3801.00 95.03 x 23 = 2185.00 1615.00

उपरोक्त अधिक भूतान वा मापित रूपसे किया जाए अन्यथा
पट्टी भूतान की राशि की तिथि पर से अधिक भूतान
की जाए ।

[3] अनुबन्ध 1 में मद संख्या 3/3 "प्रोवाइडिंग एण्ड मेकिंग
मेन्टल कन्टीट 1:6:12 इन फोर्जरेल इन फोर्जरेल" का एक नया नया
कैपिटल निम्न प्रकार ली गई है :-

$$1 \times 2.70 \times 70 \times 15 = 0.28$$

$$1 \times 1.90 \times 70 \times 15 = 0.20$$

0.48 धन मीटर

0.48 धन मीटर का 360/स्क्वे की दर से 412.80 स्क्वे
का किया गया । मद संख्या: 2/2 में "प्रजापक्षित इन जाल बाईड
अफ जाल" में लम्बाई निम्न प्रकार ली गई है :-

$$1 \times 1.40 \times 70 \times 30 = 0.29$$

$$1 \times 1.60 \times 70 \times 30 = 0.34$$

0.63 धन मीटर

एक प्रकार मद संख्या 3/3 में निम्न प्रकार भुक्तान किया
गया है :-

$$1 \times 1.40 \times 70 \times 15 = 0.15$$

$$1 \times 1.60 \times 70 \times 15 = 0.17$$

0.32 धन मीटर

अब 0.16 धन मीटर [0.48 - 0.32] मेन्टल कन्टीट का
360/स्क्वे की दर से नु, 138/स्क्वे की दर से बांधे भुक्तान
की कीमत चुली चुनिरेचर की जाए ।

7.

श्री.श्री. 27 दिनांक 27-3-2000 राशि 61,573/स्क्वे

प्रारम्भिक सम्पत्ति रिमन्-9 है अन्ततः जाक नं. 1 है
गोमती नदी किनारे टाकलैट है (नार्थ) 1/4 का ठेका श्री कमीर सिंह
द्वारा है जो अनुबन्ध संख्या वि.प.न.वि.प-3 [डी] वर्ष 1999-2000
का नं. 1/4 का वि.प.न.वि.प-3 [डी]-का नं. 7/99-409-15
दिनांक 6.3.99 द्वारा 2,36,924/स्क्वे का किया गया ।

उपर्युक्त नार्थ 1/4 का ठेका श्री कमीर सिंह द्वारा है रिमन्ड
रूप में प्रारम्भिक 1/4 का ठेका नं. 2/4 पूरा 77 से 92
का नं. 1/4 है रिमन्ड ही दर का नं. 1/4 का अनुबन्ध का मद की
10/35 "13 एम.एम. मेन्टल बाईड इन जाल मीटर इन एक बाई
माल्टी 1/4/स्क्वे का नं. 1/4 का ठेका रिमन्ड प्रारम्भिक का
परिमाण 1/4 200 पृ. 82-83 का नं. 1/4 का ठेका नं. 1/4
उपर्युक्त मद की राशि निम्न प्रकार है 32.76 धन मीटर है

सेडिज/वेन्टा टाफ़ैटों के 2 दरवाजों तथा 2 वेन्टीलीटर की
कॉपी क्रमांक निम्न प्रकार होगई है :-

$$\text{दरवाजे} = 21.90 \times 2.50 = 4.50$$

$$\text{वेन्टीलीटर} = 21.83 \times 1.10 = 1.83$$

6.33 वर्ग मीटर

जबकि निम्न प्रकार दरवाजे/वेन्टीलीटर/मैन डोर

$$\text{ग्रुप डोर} = 21.90 \times 2.50 = 4.50$$

$$\text{वेन्टीलीटर} = 21.83 \times 1.10 = 1.83$$

डोर टाफ़ैट

$$\text{सेडिज/वेन्टा} = 41.83 \times 2.10 = 6.97$$

13.30 वर्ग मीटर

इस प्रकार 69.46 वर्ग मीटर [82.76-13.30] के इन्फ़रम
सीनेन्ट चारटर का भुगतान 40/- रुपये की दर से किया जाना
बाधित है जब कि 76.43 वर्ग मीटर का भुगतान किया गया है। बत
6.97 वर्ग मीटर का 40/- रुपये की दर से कु 279/- रुपये के अधिक
भुगतान की सीधिकाकार से सीधे बकूली करके अनुमानित जानाभी
केवल है दौरान दिखाई जाए।

आ.नं. 20 दिनांक 19.3.2000 राशि 3935/- रुपये

जारी.डी.0/93 से 0/119 तक प्रोवाइडिंग बायर ड्रेल के
लिफ्टिंग कार्य का ड्रेल की शान चन्द्र सीधिकाकार को कार्य जायेता
है। 19 वर्ष 1998-99 जारी किया गया है।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मांग किया 1/1 बायर ड्रेल के बाय
मी. आई. बायर ड्रेल के सिद्ध होकर की रिपोर्ट प्रोवाइडिंग माप
प्रोवाइडिंग 123 फुट 72 फुट की माप की माप करने पर
मापना कि 123 फुट 72 फुट की माप का माप प्रोवाइडिंग माप
है :-

....

अधिन 3 दौरान पाया गया है निम्नलिखित भुगतान उपरान्त
 राशि राशि का भुगतान किया गया है परन्तु भुगतान से सम्बन्धित
 व्यय की सहाय अधिकारी से स्वीकृति नहीं की गई है
 अस्पष्ट है। सहाय अधिकारी की कार्यवाही स्वीकृति प्राप्त की
 जाय तथा अनु तत्वा कागामी अधिन 3 दौरान दिखाई जाए :-

क्र.सं. दिनांक राशि रु. भुगतान का विवरण

15	19.9.99	1175.00	मे. फौजदार का 1 वर्षाव ठसी को गारु की सुविधा एच.पी.डी-09988 को रिफर है। किया गया।
8	7.3.2000	3885.00	मे. जौत बाट सुविधा, राम बाजार सिन्हा-1। 1 विभिन्न बाट स्थित का ग्राऊ पेंटिंग है। किया गया।

समाप्त भुक्त बाउधर संख्या 2 वर्ष 1999-2000 राशि 1,91,729/- रु.

उपरोक्त बाउधर जरा रु. 1,91,729/- रुपये की राशि
 वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य को डेडिट तथा
 विभिन्न गारु को डेडिट में गई है।

एक बाउधर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित
 बाउधर इन्टीज द्वारा निम्न राशि का डिमांड उपयोग करने के ली.
 बाउधर विभिन्न विभागों से प्राप्त किए जाने ली है कि जो सीधे
 भुक्त करी अनुपात का कागामी अधिन 3 दौरान दिखाई जाए।

बाउधर इन्टीज सं.	राशि रुपये	विभाग का नाम
33	2785.00	सामान्य प्रशासन विभाग
39	21343.00	हि.प्र. साधनालय
34	3000.00	कुनाय विभाग
33	2300.00	—वकील—

ज राशि 29129.00

द्वितीय - दौरान पाया गया कि निम्नलिखित गाड़ियों का वर्ष 2000-2001 में माल 4/2000 से 1/2001 में को लागू करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है कि गाड़ियों को बाउट टर्न नहीं लगाई गई है। इससे वाभाव में निर्माण कार्य की राशिमा डेविट नहीं हो गई है। इस गाड़ियों को कम क्रेडिट किया गया है किसे ही नगर विभाग द्वारा रख के लिये वहीं पिरतिय रिपेरेट परिवर्तित नहीं रहे। उपर्युक्त गाड़ियों की बाउट टर्न तैयार रहे लियेको में वास्तविक स्थापित किया जाए तथा अनुमानित आगामी वित्तिये दौरान विवरित जाए :-

मण्डल	गाड़ी संख्या	माल	राशि डेविट की गई
1	एच.पी.एल. 1145	4/2000 से 1/2001	59548.00
1	एच.पी.डी 1-0948	4/2000 से 1/2001	34919.00
1	एच.पी. 03-1623	4/2000 से 1/2001	75900.00
	डिआईए एच.पी.डी 1-0950	4/2000 से 1/2001	33851.00
			<u>2,04,218.00</u>

निम्नलिखित इण्टेन्टों द्वारा भुजारे गाड़ियों अभिन संख्याओं पर एच.पी.एल. गाड़ियों की जारी की गई कार्य-वर्ष परन्तु इनकी काली से तालमेलित अभिये अकेल में तालमेल है, बार बार मुराधि करने पर भी पूरा नहीं हो पाया है। तालमेलित अभिन संख्याओं को तालमेलित होने के कारण उनकी अभिये प्राप्त नहीं किया गया। जो कि तालमेलित की पर स्थिति किया जाए कि कारणों से तालमेलित अभिन संख्याओं की भारमुक्ति किया गया। इस कारणों द्वारा जारी निर्माण कार्य की काली करके जल्दया इनका उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुमानित वित्तिये में सुविधा दिए जायें

माल	माल	राशि	निम्नलिखित / संविदाकार / नाम जि
1. जी. वारा / सं. जी.	42म वारा जी	7160/-	सर्वो जी. वारा / स. वारा, अभिन सं.
2. वारा / 2000 वारा	वारा 2.500	7526/-	वारा जी. वारा / स. वारा
3. जी. वारा / वारा जी. एल.	वारा 25 वारा	3400/-	वारा जी. वारा / स. वारा

4. जार्ज. एल./2000-ब्लॉक सीमेंट 30 बोररी 6800/- जार्ज. जी. रत्न
40/02/24.3.2000
5. जार्ज. एल./2000/पाकि सारिया 2.938मी. 31469/- - यशोपति-
04/7.4.2000
6. जार्ज. एल./2000-पाकि सारिया 4.391मी. टन जार्ज. डी. रत्न. व. ड.
02/4.4.2000 76924/-
7. यशोपति-05/7.4.2000 सारिया 1.980 34161/- -- यशोपति-
मी. टन
8. -- यशो- 01/4.4.2000 सीमेंट 100 बैग 13872/- -- यशोपति-
9. -- यशो- 03/17.4.2000 सीमेंट 130 बैग 24,979/- -- यशोपति-
10. -- यशो- 03/10.7.2000 सीमेंट 30 बोररी 6800/- -- यशोपति-
11. -- यशो- 08/9.3.2000 सारिया 1.987 34910/- -- यशोपति-
मी. टन
12. -- यशो- 06/3.5.2000 सारिया 0.935मी. 17175/- -- यशोपति-
टन
13. सी. जार. टी. सी. सी. जी. जार्ज. 22179/- ~~सी. जार. टी. सी. जी. जार्ज.~~
20/99/19.5.2000 सी. टो. 646मी. टन -- यशोपति-
14. सी. जार. टी. एल. एल. सीमेंट 4 बैग 343/- सी. जार. रत्नपार
एल. 67/99/27.5.00
15. जार्ज. एल./2000 पाकि सीमेंट 100 बैग 13560 एम. डी. निमनामी
091/27.5.2000
16. -- यशो- 07/9.5.00 सीमेंट 100 बैग 13872 जार्ज. डी. रत्न
17. जार्ज. एल./2000/जी. सीमेंट 40 बैग 3426 भानो दत्त
एल. 39-1/2.5.00
18. जार्ज. एल./2000/पाकि सीमेंट 100 बैग 13566 जार्ज. डी. रत्न
0-5/4.5.00
19. जार्ज. एल./2000/एम. डी. सारिया 1.00मी. टन 1717 एम. डी. निमनामी
ए. 31.5.00
20. जार्ज. एल./2000-सुरेन्द्र सीमेंट 30 बोररी 6783 सुरेन्द्र वाशन
-1/14.6.2000
21. जार्ज. एल./2000/सी. सीमेंट 30 बोररी 3392 कमीर सिंह
46/14.6.2000
22. सी. जार. जी. टी. सीमेंट 6 बोररी 814 -- यशोपति-
21/99/14.6.00
23. -- यशो- 23/99-14.6.00 सीमेंट 30 बैग 1083 -- यशोपति-
24. जार्ज. एल./2000-सी. सीमेंट 180 बैग 24413 डी. डी. निमनामी
44/12.6.2000
25. -- यशो- सुरेन्द्र-2 सीमेंट 70 बैग 9496 सुरेन्द्र वाशन
17.6.00

26-यज्ञो-5.7.00	सीमेंट 20 बैग	2713	सुरेन्द्र बांसन
27-यज्ञो-सी.ए.ए. - 2-5.7.2000	सीमेंट 50 बैग	6783	--यज्ञोपरि-
28-सी.भरानी-1-5-2000	सीमेंट 50 बैग	6783	भरानी सिंह
29-यज्ञो-वी.के.61 17.8.00	सीमेंट 180 बैग	24419	वी.के.चिखर
30-यज्ञो-वी.के.60/3.8.00	सीमेंट 75 बैग	10175	-यज्ञोपरि-
31-यज्ञो-2000 परकीर -1/11.8.00	सीमेंट 28 बोरी	3798/-	कमोर सिंह
32-यज्ञो-2/11.8.00	सारेया 0.120 एम.टी 2102/-		-यज्ञोपरि-
33-यज्ञो-वी.के.63- 26.8.2000	सीमेंट 40 बैग	5426	वी.के.चिखर
34-यज्ञो-कमोर-सी-3 30.9.00	सीमेंट 34 बैग	4612	कमोर सिंह
35-यज्ञो-4/3.9.00	सारेया 0.060 एम.टी 1050		-यज्ञोपरि-
36-यज्ञो-वी.के.64 30.9.00	सीमेंट 60 बैग	8139	वी.के.चिखर
37-यज्ञो-वी.के.1 29.11.00	सीमेंट 60 बैग	8140	-यज्ञोपरि-
		5,04,934.00	

उपरोक्त के अतिरिक्त 1.9.2000 से 31.1.2001 तक के एन्डोटी
के जारी भुगतान तालिका में प्रविष्टियाँ संशोधित कर के देखा गयीं। उपरोक्त
अमेच्य अभियन्ता के एम.ए.ए.ए. रजिस्टर में नहीं ली जा सकी क्योंकि उन व्यक्ति
एन्डोटी के अभियन्ता के रूप में नहीं पृष्ठ 3 एम.ए.ए.ए. पृष्ठ संख्या उन पर
दिनांक में नहीं ली गयीं पूर्ण तरह कागजों के अकेल में सत्यापनार्थ प्रस्तुत
किया जाये।

वैधानिक के दौरान निर्माता/निर्माण तालिका विभिन्न एम.ए.ए.ए.
रजिस्टरों में दर्ज की गयीं व्यक्तियों के पृष्ठ में माप पुरस्कार मन्त्री के
निर्माण एवं संरक्षण कार्य नहीं के बिना यह प्रतीत होता है कि यह सामान
जो भी प्राप्ति के प्राप्त होवे है इन सभी आइटमों में उक्त अन्तर के
कमोडिटी का माप तथा व्यक्तियों के अकेल में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया
जाये।

उपरोक्त निर्माण कार्य के तीसरे चक्र जिस जिसकी लागत प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 696 पृष्ठ 32 से 52 तक की जाँच करने पर पाया गया कि मुख्य प्रगतक हि० प्र० नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या एच.पी.एन.वी.पी-ए.बी।बी।-के.के. 5/99-285-86 किंकि 15.1.2000 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु पत्थर/बोल्डर की वसूली कर मु० 230/-40 स्वीकृत की गई थी परन्तु माप पुस्तिका संख्या 746 पृष्ठ 59 किंकि प्रविष्टि किंकि 27.2.2000 द्वारा 224 फी. मी. पत्थर/बोल्डर की वसूली 59.65 रु० प्रति फी. मी. की दर से मु० 13362/-रु० की गई। इस प्रकार मु० 38152/-रु० की राशि की कम वसूली का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-2- इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

ख) उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चक्र जिस में 8 नं० पानी की स्टील की टैंकों का सुरक्षित अग्रिम मु० 17600/-रु० की राशि का भुक्तान माप पुस्तिका संख्या 696 पृष्ठ 14, किंकि 23.9.99 को किया गया जबकि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार पानी की टैंकों का पर लगाई जानी थी। संविदाकार को अधिक काम पैदाया गया है। सी.पी.इल्यू.डी.कोड के पैरा 10.2.25 के अनुसार "सुरक्षित अग्रिम केवल उन्हीं निर्माण सामग्रियों का किया जाना था जिसका शीघ्र उपयोग इमोजेट यूज किया जाना हो" अतः 23.9.99 से टैंकी लगाने की अवधि तक का मु० 17600/-रु० पर कुछ व्याज की गणना करके दोषियों से वसूल किया जाए तथा अनुपात आगामी अग्रिम के दौरान किंकि जाए।

ग) संविदाकार के नेगोशिएशन पत्र किंकि 2.6.99 के अनुसार "संविदाकार जोड़ी गई मिट्टी को मेक्रीजल इतिपोर्ट से तथा उठाकर फेज-गा के कार्य क्षेत्र से बाहर ले जाएगा यदि सरप्लस जोड़ी गई मिट्टी संविदाकार नहीं उठाएगा तो नगर विकास प्राधिकरण एक प्रतिष्ठा की दर से चक्र जिसों से राशि काटी जाएगी। यथाक पुरी की पुरी मिट्टी संविदाकार उठा नहीं देगा। परन्तु

अंश के दौरान पाया गया कि नगर विकास प्राधिकरण के मण्डल-1 के पत्र संख्या: एच.पी.एन.वी.पी. [डी-1] अकाउंट-7/2000-2143-46 दिनांक 26.3.2000 पत्र संख्या: एच.पी.एन.वी.पी. [डी-1] अकाउंट 7/2000-111-114 दिनांक 24.4.2000 के अनुसार संचिदाकार ने चोथे बिलत बिल गुरु 2845188/-₹ की राशि के निर्माण कार्य तक उपरोक्त छोटी गई मिट्टी नहीं उठाई थी तथा न ही संचिदाकार से उक्त बिलत बिल तक गुरु 28452/-₹ [2845188*12] की राशि ही स्थगित [चिक्केल] की थी और संचिदाकार को भुगतान कर दी गई थी। गुरु 28452/-₹ की राशि के संचिदाकार को भुगतान का औचित्य ^{सचिव लि.} कारण तथा अंश को यह भी बताया जाए कि संचिदाकार ने कार्य स्थल से जुड़ाई गई मिट्टी उठा ली है कि नहीं? मिट्टी न उठाने के कारण नगर विकास प्राधिकरण को हुई हानि का उत्तरदायित्व [रिस्पॉन्सिबिलिटी] निर्धारित करके दोषियों के विरुद्ध अमल में लाई जाए तथा की गई कार्यवाही से अंश को अग्रगत करवाया जाए।

[च] अनुबन्ध के अनुसार संचिदाकार को उपरोक्त निर्माण कार्य 15.6.2000 तक पूरा करना था परन्तु अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही तथा पत्र संख्या एच/पी/एन/एच.बी.आई.एस-260/2001-एस.डी.एच.एच/कॉन्ट-1-1330-32 दिनांक 15.6.2001 द्वारा जारी प्रोसिडिंग के अनुसार संचिदाकार 15.6.2001 से पहले निर्माण कार्य समाप्त करने पर सहमत हुए थे। परन्तु वह निर्माण कार्य उपरोक्त अधि तक निष्पादित नहीं किया गया था। कि कारण पत्र संख्या 3211-12 दिनांक 10.9.2001 से विदित होता है। अतः निर्माण कार्य के निर्धारित अधि में निष्पादित न करने के कारण अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार अनुबन्धित राशि गुरु 4,44,5980/-₹ के 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि गुरु 4,44,5980/-₹ की पक्षी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपात आगामी अंश के दौरान दिखाई जाए।

18. उपरोक्त निर्माण के तीसरे धरात बिन्दु तक निम्नलिखित अनुबन्ध की मदों की अनुबन्ध द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में कार्य निष्पादित किया गया था। निर्माण कार्य की मात्राओं में इसकी अधिक बढ़ोतरी का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा विपन्न की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंश के दौरान दिखाई जाए :-

मद सं०	मद का विवरण	अनुबन्ध अनुसार मात्रा।	मापपुस्तिका अनुसार कार्यमात्रा।	अन्तर	अन्तर२
1.	कठिण इन अर्थ वर्क घन मी.	1054.10	1398.53	344.45	33
2.	सक्ताकापेशन घन मी.	171.97	617.274	445.334	259
3.	पथर्ग वर्क इन कठिण वर्ग मी.	942.35	1285.419	343.069	36
4.	पी/एलसीसी 1:2:4 [ए] काउन्सिल इन्डीवातर्ग घन मी.	69.14	108.629	39.489	57
		105.53	172.012	66.482	63
7	प्रोवाइडिंग टोर स्टील कि.ग्रा.	15720.30	20798.486	5078.186	33
11	हेड पेक्ड स्टोन फिलिंग घन.मी.	156.83	224.144	67.314	43
9/1	सक्ताकापेशन इन ट्रिपल घन मी.	272.26	709.25	436.99	161

19. उपरोक्त के चला दित की मद संख्या: 5/8 "प्रोवाइडिंग टोर स्टील रिक्वायर्डमेंट" जिसकी रिक्वायर्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 715 पृष्ठ 24 की जाँच करने पर प्राप्ता गया कि कालम की 4 से की 9 में 25 समस्त संख्या की ओर से 6*8*1.42=60.16 रनिंग

... ..

मीटर की गई है जबकि उपरोक्त कालों में $6 \times 4 \times 1.42 = 34.08$ रनिंग
 25 एमएम का सरिया लगा था तथा बीच दूसरे माप का सरिया लगाया
 गया था। इस प्रकार उपरोक्त कालों में 25 एमएम सरिया की
 $6 \times 4 \times 1.42 = 34.08$ रनिंग मीटर सरिया की ओवर लेपिंग दी जानी
 पड़ती थी। अतः $34.08 \text{ रनिंग} \times 3.85 = 131.21$ किलोग्राम की 19.25
 रु० की राशि के अधिक भुक्तान की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा
 अनुपात आगामी अंश के दौरान दिखाई जाए।

84.

वाउचर संख्या 32 दिनांक 31.3.2000 राशि 893/- रु० :-

इस वाउचर द्वारा मु० 893/- रु० की राशि का
 भुक्तान बैंकों द्वारा निम्नलिखित राशियों नगर विकास प्राधिकरण
 के निशान मण्डल-1 के नामे डेबिट करने के कारण किया गया :-

<u>दिनांक</u>	<u>राशि</u>
4.11.99	20.00
5.1.99	20.00
12/99	800.00
2/2000	53.00
	<u>893.00</u>

परन्तु उपरोक्त के समर्थन में कोई भी सब वाउचर/
 अभिलेख वाउचर के साथ संलग्न नहीं था। जिसके अभाव में उपरोक्त
 भुक्तान की पुष्टि नहीं हो सकी कि बैंक ने किस कारण नगर विकास
 प्राधिकरण के मण्डल-1 के खाते में राशियां डेबिट की थी। सम्बन्धित
 सब वाउचर/अभिलेख आगामी अंश के दौरान प्रस्तुत किया जाना
 सुनिश्चित किया जाए।

वर्तमान विद्युत मण्डल :-

85.

कार्य का नाम :-

संविदाकार का नाम:

छहरह राशि :-

अनुबन्ध सं० :-

प्लेट-3 बी.सी.एस.पुटीतटी ब्लॉक में
 विभिन्न प्लेट व कमर्शियल स्केट में विपत्ती
 की पहिचान का कार्य।
 मे० नगरपालिका क्षेत्रीय विमला-9.
 363992.00 रु०
 16 वर्ष 1998-99.

...

148 287
रु0 28440.00 रु0 की सम्भावित हानि :-

उपरोक्त वर्णित सँविदाकार के द्वारा दी गई सँविदा की मकदार दरों की जाँच करने पर पाया गया कि सँविदाकार द्वारा मर्दों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी तथा निविदा जोतते समय अधिमाती अभियन्ता द्वारा दी गई छूट को 20 प्रतिशत ही सत्यापित की गई थी। तत्पश्चात इस शर्त में मद सं0 1, 4, 9 को लिख दिया गया जबकि उनके द्वारा सँविदाकार द्वारा दी गई छूट पर क्रि गस मोताकार में भी यह मद 1, 4, 9 नहीं ली गई थी। सँविदाकार द्वारा प्रारम्भ में 20 प्रतिशत की छूट सभी मर्दों पर प्रदान करने तथा छेहर स्वीकृति हेतु भरी गई थी तथा *Except Item* 1, 4 व 9 को बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जोड़ी गई शर्त भी अपने आप में ही सँविदाकार है तथा इस प्रकार की शर्त का माना जाना जिसका कोई अन्त नहीं था तथा किसी भी स्तर पर अन्य मर्दों को भी जोड़ा जा सकता था जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक था। मद संख्या 1, 4, 9 का मूल्य अंशः 73600.00, 2000रु0 व 34200.00 रु0 कुल राशि 142200/-रु0 बनती थी जिसे कार्य आरंभ करते समय गणना में लेकर 20 प्रतिशत की छूट इन मर्दों पर नहीं ली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सँविदाकार को लाभ पहुँचाने हेतु मिलकर की गई है। तत्पश्चात अभियन्ता द्वारा की गई टिप्पणी तथा सँविदाकार दर प्रति में क्रि गस मोताकार शिन्ट को ध्यान में रखते हुए मद सं0 1, 4 व 9 पर आवश्यक छूट न लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। उक्त मर्दों की राशि पर छूट न लिये जाने के कारण 28440.00 रु0 की हानि तथा निर्माण कार्य अधिक व्यय किया जाना सम्भावित है। उक्त मर्दों पर भी 20 प्रतिशत छूट सँविदाकार के आगामी बिलों में प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उक्त समस्त प्रकरण आवश्यक जाँच/छानबीन करके हेतु तथा दोषी के विरुद्ध उचित आगामी कार्यवाही करने हेतु भी लाया जाता है।

सँविदाकार को क्रि गस कार्य आरंभ के पत्र संख्या एच.पी.एन.बी.पी.-र.ई.-छोहर-छेहर/98-721-27 दिनांक

... ..

18.2.99 में 20 प्रतिशत छूट का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था।
संविदाकार द्वारा दी जाने वाली छूट का उल्लेख कार्य आदेश पर
में न किए जाने वाले स्थिति स्पष्ट की जाए व इस बारे में पुष्टि पर
जारी करके अनुपातना आगामी अधिनियम में दिखाई जाए।

मद संख्या 21 दिनांक 1996 मद कोड 3246।
एल्यूमिनियम कण्टेनर 3.5 कोर 95 स्क्वायर मीटर के कार्य
हेतु संविदाकार द्वारा 1.00 रु प्रति मीटर की दर से दी गई थी
जबकि अन्य संविदाकार की दरें 460.00 रु, 400.00 रु दी गई थी।
उक्त संविदाकार को यह कार्य उक्त मद के न्यूनतम दर किए जाने
के परिणामस्वरूप आर्जित हुआ था। अधिकांश अभियन्ता उक्त कार्य
का अन्तिम बिज का भुगतान से पूर्व उक्त मद का कार्य संविदाकार
से करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त मद की वित्तीय संविदा
कार की दर से अन्तर निकाल कर आवश्यक लाभ नियमानुसार प्राप्त
किया जाना सुनिश्चित करें।

86.

वाज्यर संख्या 7 दिनांक 10.9.99 राशि 20,00,000.00 रु :-

उपरोक्त वर्णित वाज्यर द्वारा अधिकांश
अभियन्ता विद्युत मण्डल नं० एक दिनांक 1990 राज्य बिजली बोर्ड शिफ्टा-2
को छूट फेज-3 बी.सी.एल. के नीचे आवासीय ब्लॉकों में 1।के.पी.
बिजली की आपूर्ति हेतु 61.28 लाख रु के प्राप्त अनुमान के आधार पर
पर 20 लाख रु का भुगतान किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित
अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मु० 41.28 लाख रु का
भुगतान भी वाज्यर सं० 16 दिनांक 17.1.99 व 12 दिनांक 28.2.01
के द्वारा अग्रिम के रूप में किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई
भी प्रविष्टि अग्रिम रजिस्टर में नहीं पाई गई तथा व्यय करते समय
यह राशि सीधे फेज-3 ब्लॉक बी.सी.एल. रिहायशी ब्लॉकों को चार्ज
कर दी गई थी। बिजली बोर्ड को किए गए अग्रिम भुगतान को
अभिलेख में अग्रिम न दिखाए जाने व प्राप्त अनुमानों के आधार पर
सीधे व्यय बिजली आपूर्ति के रूप में दिखाए जाने वाले स्थिति स्पष्ट

... ..

की जाए व लेजों में आवश्यक सुधार करके उपरोक्त वर्णित समस्त राशि को अग्रिम के रूप में कांया जाए। उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण हो जाने पर डि० प्र० बिजली बोर्ड से वास्तविक बिल प्राप्त करके तत्पत्र प्राधिकारी द्वारा आवश्यक वास्तविक सत्यापन विशेष रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त प्राप्त अनुमान की मद संख्या एक अबस्ट्रेक्ट आफ कौरेट एच. डी. लाईन की उपमद संख्या 12 जिसमें 525 मीटर पी.वी.सी. 300वर्ग एमएम की 2000.00 रु० प्रति मी. की दर से 1050000/- रु० का भुगतान किया गया। उक्त मद के किए गए कार्य की मात्रा के तन्मूर्त में तत्पत्र प्राधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र पृथक् से प्राप्त किया जाए तथा इसका सत्यापन तत्पत्र प्राधिकारी द्वारा करवाकर अकौण्ट में प्रस्तुत किया जाए।

अनुबन्ध संख्या :-

6 वर्ष 1998-99

कार्य का नाम :-

बी.सी.एस. के नीचे आवासीय परिसर प्रक-3 के निर्माण कार्य में 4 नं० टाईप "बी" बेसमेन्ट फ्लैट 8 नं० टाईप "सी" फ्लैट व 8 नं० टाईप "डी" फ्लैट में बिजली की फिटिंग [जाब नं० 2]।

बिल संख्या :-

चतुर्थ चलत बिल ।

माप पुस्तिका संख्या :-

442 पृ० 84 से 92.

उपरोक्त वर्णित अनुबन्ध द्वारा संपिदाकार को मु० 1, 19,062/- रु० की राशि सुरक्षित अग्रिम के रूप में बिजली बोर्ड का निम्न सामान कार्य स्थल पर लाने के लिए दिया गया परन्तु इस वाज्यर की जांच करने पर पाया गया कि संपिदाकार द्वारा स्वयं के तैयार डेड पर सामान का विवरण बिना किसी मार्क/कम्पनी का उल्लेख करते हुए आवेदन करके सुरक्षित अग्रिम का दावा प्रस्तुत किया था जो कि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि न तो यह सामान करीद से सम्बन्धित वास्तविक बिल पर आधारित था तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संपिदाकार द्वारा प्रयोग किया गया सामान/फिटिंग सी.पी. इल्यू. डी. की जरूरत स्पेशलिफिकेशन के अनुसार आई.एस.

आई. मार्का/कम्पनी का नाम जैसे फिलिप्स, बजाज क्राम्पटन ग्रीबज इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को प्रदान किया गया सुरक्षित अग्रिम नियमों की उल्लंघना करके प्रदान किया गया है जिसे हेतु स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्रम सं० क्रय किया गया सामान मात्रा दर सुरक्षित अग्रिम की राशि जो प्रदान की गई।

1.	कन्ड्यूट पाईप 20 एमएम	1000मी.	15.00 रु०	15000.00
2.	कन्ड्यूट पाईप 25 एमएम	2000मी.	18.75	37500.00
3.	पी.वी.सी. कापर वायर 1.5. स्क्वायर एमएम.	75क्वायल	337.50	25312.50
4.	यथोपरि-4स्क्वायर एमएम.	50क्वायल	825.00	41250.00
				<u>119062.50 रु०</u>

इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी संविदाकारों को समय समय पर जारी किए गए सुरक्षित अग्रिमों में इसी प्रकार की अनियमितता को दोहराया जा रहा था। यद्यपि पूर्व अवेक्षण प्रतिवेदनों में इस प्रकार की आपत्ति को उठाया गया था परन्तु फिर भी इस अनियमितता पर रोक नहीं लगाई गई। अतः इनको पुनः दोहराये जाने वाले स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में भुगतान करते समय इस स्थिति से परिहार करें।

88.

हि०प्र० नगर विकास प्राधिकरण भवन कम्प्यूनिटी सेन्टर हाल व रैस्ट हाउस के रिपेयर व मैनटेनेन्स के एम. ए. एस. रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि खरीदे गए निम्न वर्णित सामान का उपयोग एम. ए. एस. रजिस्टर में यह टिप्पणी करके उपयोग किया

.....

गया था कि इस सामान को कार्य हेतु जारी किया गया जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। नियमानुसार एम.ए.ए. से जारी/उपयोग किए गए सामान का उपयोग माप पुस्तिका में दिये उपयोग प्रविष्टि/मस्टर रोल नई जिसके द्वारा यह सामान उपयोग किया गया है का तन्दर्जित किया जाना आवश्यक था। अतः बिना माप पुस्तिका/मस्टर रोल के द्वारा जारी किए गए उपयोग बारे तिथित स्पष्ट की जाए तथा समस्त सामान के वास्तविक उपयोग को माप पुस्तिका/मस्टर रोल से तन्दर्जित करके जारी अनुपात आगामी लेखा के समय दिखाई जाए अन्यथा अनियमित रूप से जारी किए गए सामान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके सम्बन्धित लेखा में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त दिवसी होई को जारी सामान की पुष्टि में रसीद प्राप्त की जाए तथा लेखा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाए।

कार्य का नाम	एम.ए.ए. स्ट. पृष्ठ सं०	खरीदे गए माप पुस्तिका संख्या	सामान की माप पुस्तिका पृष्ठ सं०	खरीदे गए सामान की राशि	टिप्पणी
1.	2.	3	4	5	6
रिपेयर व मेन्टीनेंस	11	13	30	195.00	
आम नगर विकास			30	195.00	
प्राधिकरण भवन.			32	180.00	
			32	190.00	
			33	190.00	
			34	200.00	
			34	187.00	
			41	175.00	
			45	200.00	
			46	194.00	
			—	188.00	

146

292

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		5 15	101	200.00	
			100	190.00	
			99	188.00	
			98	190.00	
			97	195.00	
			97	192.00	
		5 15	96	200.00	
			96	198.00	
			95	200.00	
			94	192.00	
			94	195.00	
			93	200.00	
			93	200.00	
कम्युनिटी सेन्टर	81 से	11	31	200.00	
की रिपेयर व	83.		35	188.00	
मैन्टेनेन्स.			42	200.00	
			43	186.00	
			46	200.00	
			47	195.00	
			48	194.00	
		5 15	99	191.00	
			98	190.00	
			92	4845.00	
			91	4794.00	
			90	4975.00	
रेस्ट हाउस भवन	91	11	41	200.00	
की रिपेयर व			43	195.00	
मैन्टेनेन्स.			100	194.00	

... ..

152 265

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		5 15	95	200.00	
			98 91	4940.00	
			89	5956.00	
प्रोवाइजि रद्दीट		11	44	260.00	रम. रस. पार
हाईट इन बी.सी. रस.			44	260.00	पेयर व बी.आई.
					पाईप बेड 2 नं०
			योग:	33 19 1.00	अभी भी रम. र. रस.
					रजिस्टर में प्रयोग
					हेतु देखा था।

परा-89.	वाउचर सं०	किांक	राशि
	33	27.3.2000	100.00
	35	27.3.2000	100.00

उपरोक्त वर्णित वाउचरों द्वारा श्री अजय पात्र, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1 विहाहीदार व श्री पी. एच. नेहरू, सहायक अभियन्ता को क्रमा. वाउचरमें लाइसेन्स सं० 2455 व सुपरवाइजर लाइसेन्स सं० 688 के नवीनीकरण हेतु 100.00 रु० व 100.00 रु० का भुक्तान किया गया। यह राशि सरकारी कौष धालान संख्या 56 किांक 21.3.2000 व 55 किांक 21.3.2000 के द्वारा जमा करवाई गई थी परन्तु उक्त कौष धालान की जाँच करने पर यह पाया गया कि यह राशि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से करवाई गई है तथा धालान में वहाँ पर भी उनका पकाम व नगर विकास प्राधिकरण का कोई भी सन्दर्भ नहीं दिया गया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि यह लाइसेन्स व्यक्तिगत ही है। नगर विकास प्राधिकरण के लेखों से व्यक्तिगत भुक्तान किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रु० 200/- रु० की वसुली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

वाउचर संख्या 37 किांक 29.3.2000 राशि 1,00,000.00 रु० :-
 उपरोक्त वाउचर द्वारा अध्यापकी अभियन्ता दि० 99० राज्य विजली बोर्ड, दिल्ली के शोपिंग

कम्प्यूटर नगर विकास प्राधिकरण कृत्तु रिक्त सरकारी में बिजली की आपूर्ति हेतु 5,93,442.00 रु के प्राप्त अनुमान के आधार पर 1,00,000.00 लाख रु का भुक्तान किया गया। जिसमें फिर जाने तक उपरोक्त कार्यालय विभाग को रु 5,93,442.00 रु का भुक्तान किया जा चुका था परन्तु अंतिम के समय पाया गया कि अंतिम भुक्तान हेतु पीई सी प्रिजिटिड अभिलेख में नहीं पाई गई तथा व्यय करते समय यह राशि सीधे शापिंग कम्प्लेक्स कृत्तु को धावे कर दी गई है। बिजली बोर्ड को फिर मण्डल अंतिम भुक्तान को अभिलेख में अंतिम न विवर जाने बारे व प्राप्त अनुमानों के आधार पर सीधे व्यय बिजली आपूर्ति के रूप में शापिंग कम्प्लेक्स के लेखा में धारि जाने बारे रिक्त स्फट की शुरु व लेखों में आवश्यक सुधार करके उपरोक्त समस्त राशि को अंतिम के रूप में जारी किया जाए। उपरोक्त वरिष्ठा कार्य पूर्ण हो जाने पर डिप्टी बिजली बोर्ड से वास्तविक बिल कार्य मददार प्राप्त करके तत्काल प्राधिकारी द्वारा आवश्यक वास्तविक स्थापन विवरण रूप से व्यवस्थापन जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

कार्य का नाम :-

प्लेट-3 में 4 नं० टाइप "बी" प्लेट
16 नं० टाइप ही प्लेट नं० 10
व 11 जांच नं० 9.
15 वर्ष 1998-99.

अनुसन्ध संख्या:

संविदाकार का नाम :-

मे० कालरा हाथियार व इलेक्ट्रीकल स्टोर पिम्पला।

उपरोक्त वरिष्ठा अनुसन्ध के ठेकर की जांच करने पर पाया गया कि मे० कालरा हाथियार व इलेक्ट्रीकल स्टोर पिम्पला- को उपरोक्त वरिष्ठा कार्य आदेश पत्र संख्या एच.पी.स्म.बी.पी.-ए.ई-विक्ट-ठेकर/98-744-50 दिनांक 26.2.99 के द्वारा किया गया। उक्त फर्म द्वारा दी गई दरों की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा सभी दी गई दरों पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी। परन्तु कार्य आदेश पत्र के संविदाकार द्वारा दी गई छूट बारे

...

जोई भी तन्दम नहीं दिया गया था। अधिक्य में संविदाकार को
 फिर जाने वाले भुक्तानों में आवश्यक फूट 25 प्रतिशत न काटे जाने के
 के कारण अधिक भुक्तान की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा
 सकता। उपरोक्त पत्र में 25 प्रतिशत फूट का उल्लेख न किए जाने वाले
 स्थिति स्फोट की जाए व इस बारे में सुनिश्चित पत्र जारी करके अनुपालना 3
 आगामी अधिक्य में दिखाई जाए।

उपरोक्त वर्णित कार्य दिनांक 13.2.2000 को
 पूर्ण किया जाना था परन्तु कार्यपूर्ण न होने पर दिनांक 31.3.2001
 तक समय सीमा में बढ़ोतरी इस बात पर की गई थी कि संविदाकार
 द्वारा स्वीमेन्ट की किसी भी धारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा
 नहीं किया जाएगा। परन्तु संविदाकार द्वारा दी गई सहमति की जांच
 करने पर पाया गया कि सहमति उक्त पत्र के पत्र में श्री जगदीश शर्मा
 द्वारा दी गई थी जबकि श्री जगदीश शर्मा के नाम की भावर आफ
 एटार्नी लिमिटेड में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अधिक्य में प्रस्तुत
 किया जाए।

92.

वाजवर लंबा 3 दिनांक 1.6.2000 राशि 4123.00 ₹ :-

उपरोक्त वाजवर द्वारा मटर रोड नं० 153
 माह 5/2000 हेतु 4123.00 ₹ का भुक्तान किया गया। उक्त व्यय
 माह नं० 15 को पाई किया गया था। फिर गए उपरोक्त भुक्तान
 में श्री कोर सिंह टीमेंट/हेल्थर को माह 5/2000 के लिए दिए गए
 कार्य हेतु 1584.00 ₹ का भुक्तान भी सम्मिलित था। श्री कोर
 सिंह टीमेंट के मटर रोड के साथ लगी प्लेट के अनुसार श्री सीताराम
 पौडान एच.डी.एम. द्वारा यह सत्यापित किया गया था कि श्री
 कोर सिंह द्वारा पूर्व माह कार्यालय में कार्य किया गया था। लगी
 प्रकार से पयनित माह 12/2000 में भी उपरोक्त दिखाई दिए को
 1530.00 ₹ का भुक्तान किया गया जिसे माह नं० 10 को ही
 कैशियर किया गया था। अतः श्री कोर सिंह द्वारा कार्यालय में
 किए गए कार्य के आधार पर यह व्यय प्रशासनिक व्यय के रूप में

...

कार्यो जाना अपेक्षित था। तथा गलत लेजोंक के कारण निर्माण कार्य को आवश्यक व्यवस्था हासिल नया है जिसे आवश्यक दुधार करके स्थापना के आगामी अभियान में प्रस्तुत किया जाए।

इसी प्रकार अन्य मामलों में भी इस प्रकार के प्रकरणों में यदि गलत लेजोंक किया गया हो तो उसकी गणना करके आवश्यक दुधार^अ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

93.

वाल्मर संख्या 7 दिनांक 5.6.2000 राशि 159416.00 रु :-

उपरोक्त वाल्मर द्वारा मैड इलेक्ट्रीकल प्रेरण, मिडल जकार विभाग को अनुसंध संख्या 4 वर्ष 1997-98 काब नै 4 के प्रथम प्रकाश व अन्तिम बिज का धुस्तान 159416.00 रु का किया गया। उत्तर बिज की जाँच करने पर पाया गया कि अनुसंध के अनुसार यह कार्य 4,97,322.00 रु में किया जाना था परन्तु संविदाकार से केवल 8 नै 0 टाईस "प"डी" फोल्ड 3/2/10/22/3/7/17/11/ का कार्य ही करवाया गया तथा 8 नै 0 टाईस की फोल्ड व 8 नै 0 टाईस सी का कार्य नहीं करवाया गया। अभियान में यह बकाया/प्रतिदा/ बताया गया कि बकाया बिजली का कार्य करवाया ही नहीं गया क्योंकि बकाया फोल्ड पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए थे। परन्तु अभियान में कोई भी पत्र इस बारे में नहीं पाया गया। अनुसंध की धारा 13 के अनुसार किन्हीं कारण यदि बकाया कार्य खर्च नहीं करवाया जाना अपेक्षित हो तो इन्जीनियर इन्चार्ज द्वारा पूर्ण रकमों को लिखित में दर्जित करते हुए संविदाकार को नोटीस दिया जाना अपेक्षित था जिसमें यह भी दर्जित किया जाना था कि अनुसंध की धारा के अन्तर्गत कोई कार्य क्षतिपूर्ति हेतु देय नहीं होगा। परन्तु अभियान में इस प्रकार का कोई भी नोटीस दिया गया प्रतीत नहीं होता। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही न किए जाने के कारण संविदाकार द्वारा क्षतिपूर्ति देना भी किए जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुसंध की धारा 13 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही न किए जाने वाले स्थिति स्पष्ट की जाए तथा

यदि कोई भी भुक्तान का बारी सविदाकार को किया गया हो
तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेवारी निर्धारित करके
वसूली करते जमा करवाई जाए।

अनुबन्ध की तारीख मद संख्या 12 व 13 के अन्तर्गत
25,000.00 रुपये को राशि सविदाकार को भुक्तान हेतु रोक
गई। तत्पश्चात् यह राशि वाज्जर संख्या: 13 दिनांक
26.6.2000 द्वारा भुक्तान भी कर दी गई। इन मदों के
अन्तर्गत 5 से 32 एम्पेयर से सॉल्ट ड्रेकर व 40 एम्पेयर सॉल्ट
ड्रेकर {बार.सी.सी.बी.} को एम.ए.एस. रजिस्टर के पृष्ठ
93 पर प्राप्त के रूप में दर्ज किया गया था। कार्यपूर्ण हो जाने
की स्थिति में यह सामान एम.ए.एस. रजिस्टर में लिए जाने
बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व यह सामान उक्त निर्माण कार्य/
भवन में लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

94.

वाज्जर संख्या: 18 दिनांक 22.6.2000 राशि 94,462.00 रुपये

कार्य का नाम :- कनिष्ठ कम्प्लैट एट कम्पटी
जैन सेक्टर सिफला-171009 ब्लॉक
नं. 42 में बिजली का आन्तरिक कार्य।

जिल्ला संख्या: तृतीय कलत जिल्ला।

सविदाकार का नाम:- मै. कलरा हाउसिंग व डेवलपमेंट
स्टोर सिफला-171001.

माप पुरिस्तर संख्या:- 13 पृष्ठ 91 से 95।

अनुबन्ध संख्या:- 13 वर्ष 1998-99.

उपरोक्त कार्य मद संख्या 4/4 सप्पाई व फिनिशिंग बाफ
मैटल का का 150x75x60 ठीप नामिनल साईज है कराए गए
34 नं. के कार्य हेतु 145.00 रुपये पार्ट दर को दर से 1 पूर्ण दर
150.00 रुपये 4930.00 रुपये का भुगतान किया गया। दिए
गए भुगतान को जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका
संख्या 13 के पृष्ठ 92 पर कोनार्ड रिकार्ड प्रविष्टि अनुसार
31 नं. ब्रैड के लिए ही भुगतान किया जाना ज्ञात था।
3 नं. का मात्रा माप पुस्तिका के पृष्ठ 49, जो कि द्वितीय क्लि
से तयान्वित थी से उठाई गई दिखाई गई। परन्तु उक्त पृष्ठ
पर उक्त मद की कोई भी रिकार्ड प्रविष्टि नहीं पाई गई तथा
न ही पूर्व क्लि में भुगतान ही किया गया था। अतः अनुचित
रूप से 3 नं. की अधिक दिखाई गई मात्रा प्रतीत होती है।
कि तो 145.00 (पार्ट दर) को दर से 435.00 रुपये की वकूली
करके जमा दिखाई जाए व अनुपालना का संस्थापन बागा में
जैसिम पर करवाया जाए।

विद्युत मण्डल के जोरों को जाँच करने पर पाया गया कि
मण्डल की संधिदाकार लैजर लैजर नहीं जो जा रही थी जो
कि निम्नानुसार रखी जारी अत्यन्त आवश्यक है। ताकि समय
समय पर संधिदाकारों से दिए गए लेन देन का पता चल सके।
अत्यन्त महत्वपूर्ण बाधक्यों को लैजर न देखे जाने वाले स्थिति
प्रपत्र को जाए व संधिदाकार का जो लैजर करके जागा ने
की जाये व पुस्तुकों को जाए।

गया कि गण्डल में संविदाकार के तैयार नहीं की जा रही थी जो कि नियमानुसार रही जानी अत्यन्त आवश्यक है। ताकि समय समय पर संविदाकारों से किए गए लेन देन का पता चल सके। अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार को तैयार न किए जाने वाले विधिति स्पष्ट की जाए व संविदाकार छाता यही तैयार करके आगामी अंकित में प्रस्तुत की जाए।

95.

वाक्य संख्या 20 दिनांक 27-08-2000 राशि 103853.00 रु

कार्य का नाम :-

फेज-3 बी.डी.एस. के नीचे ब्लॉक नं० 15, 17 व 19 में आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य [जाब नं० 6]

अनुबन्ध संख्या :-

11 वर्ष 1998-99.

संविदाकार का नाम :-

श्री डी.एस. रान्दा ।

क्रि संख्या :-

तृतीय चतुर्थ क्रि ।

माप पुस्तिका संख्या :-

12 पृष्ठ 75 से 83 ।

उपरोक्त वर्णित वाक्य द्वारा श्री डी.एस. रान्दा संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 11 वर्ष 1998-99 के तृतीय क्रि हेतु रु० 103853.00 रु का भुगतान किया गया । किए गए भुगतान में अनुबन्ध की मद संख्या 2 [डी] का भुगतान क्रमा. 3575.00 रु 43190.00, 7424.00 व 9280.00 रु सम्मिलित था जिसका विवरण निम्न वर्णित है। किए गए भुगतान की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कार्य मात्रा का माप एक फीट की गणना एक घुस्त, बिना किसी विस्तृत माप विवरण के जांचर हुए फीटों की मात्रा से गुणा करके भुगतान किया गया था। कार्य मात्रा का विस्तृत विवरण न किए जाने से यह स्पष्ट नहीं होता था कि कुछ तैयार माप का क्या आधार था। उक्त कार्य से सम्बन्धित वर्किंग ड्राइंग भी अंकित में उपलब्ध नहीं करवाई गई। बिना स्पष्ट रिकार्ड प्रविष्टियों को किए बिना ही रु० 63459.00 रु के किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा की गई रिकार्ड

... ..

प्रविष्टियों को पूर्ण तथा स्पष्ट करके आगामी भुक्तान तदनुसार ही करके तथा आवश्यक पुष्टि आगामी अधिनियम पर करवाई जाए।

क्रम सं०	कार्य मद सं०	कार्य मद का विवरण	भुक्तान पाट दर.	कार्य मात्रा.	भुक्तान की गई राशि।	प.
----------	--------------	-------------------	-----------------	---------------	---------------------	----

1. 2 सप्ताई एवं ड्राईंग फेलोईंग साइज आफ पी.वी.सी. इन्सुलेटिंग कापर कंडक्टर सिंगल कोर।

॥ए॥ 2. 15 वर्ग मि.मी. 9.00 रु० 397.20 3575.00 प्रति मी.

॥बी॥ 2. 4. वर्ग मि.मी. 25.00 रु० 1727.60 43190.00 प्रति मी.

॥सी॥ 2. 5 वर्ग मि.मी. 40.00 रु० 195.60 7424.00 प्रति मी.

॥डी॥ 2. 10. वर्गमी.मी. 50.00 रु० 185.60 9280.00 प्रति मी.

63469.00 रु०

१६.

रूत व पाट के रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पृष्ठ 19 पर एक नं० कार के एयर कंडीशनर जिसकी कीमत 26164 रु० थी, की प्रविष्टि की गई थी जिसे उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण द्वारा गाड़ी संख्या सच.पी-07-0016 में, जोकि सामान्य प्रशासन विभाग हि०प्र० सचिवालय की गाड़ी थी, जिसे उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण में लगाया गया था। परन्तु नगर विकास प्राधिकरण का आवत बोर्ड में विलय हो जाने पर यह एयर कंडीशनर वापिस लिया जाना या इसे हि०प्र० सरकार के सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जाना था। परन्तु इस प्रकरण से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस हेतु रिश्तित स्पष्ट की जाए व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके अनुपातना आगामी अधिनियम में किया जाए। आवश्यक उचित निर्देश से इस कार्यवाही करके प्राधिकरण आवत बोर्ड के अन्तिम अंशों में यदि सुधार की आवश्यकता हो तो यथा अपेक्षा कार्यवाही की जाए।

... ..

97.

निम्न विवरणानुसार नगर विकास प्राधिकरण का आवासीय ब्लॉकी में रिपेयर व मेन्टीनेन्स स्ट्रीट लाईट हेतु माप पुस्तिका संख्या 515 के पृष्ठ 39 व 40 पर क्रमा. 4762.00 रु व 3891.00 रु का सामान क्रय किया गया था जिसे एम.ए.एस. रजिटर के पृ 46 व 55 पर दर्ज किया गया था। उक्त सामान आवासीय ब्लॉकी में प्रयोग हेतु डिप्टी विजली बोर्ड के सम्बन्धित सब विविक्त को स्ट्रीट लाईट की रिपेयर व मेन्टीनेन्स हेतु जारी किया गया जाया गया परन्तु उक्त सामान का उपयोग कर लिए जाने से सम्बन्धित विजली बोर्ड के अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा नगर विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल के अधिकारी द्वारा आवश्यक पुष्टि किए जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंश में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे प्राप्त/सत्यापित ही नहीं किया गया है। आवश्यक प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त करके तथा इसकी पुष्टि प्राधिकरण अधिकारी से करवाकर आवश्यक जांच हेतु आगामी अंश पर प्रस्तुत किया जाए !

98.

मै0 2007/प्रमाण ओम सहतरवाईजींग वण्टीगद व मै0 इण्डियन सहतरवाईजींग वण्टीगद को वाज्यर संख्या 11 फिांक 23.9.99 व 36 फिांक 28.3.2000 द्वारा विज्ञापन हेतु क्रमा. 24382.00 रु व 13853.00 रु कुल राशि 38235.00 रु का झुतान किया गया। फिर गर झुतान की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित फर्मा से एक प्रतिवस्त की राशि स्रोत पर आयकर के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत काटी जानी अपेक्षित थी परन्तु विद्युत मण्डल द्वारा कोई भी राशि की कटौती फर्मों से नहीं काटी गई थी जिके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त फर्म के आगामी बिलों के झुतान करते समय आवश्यक कटौती करके आयकर विभाग को कटौती की गई राशि भेजी जानी सुनिश्चित की जाए/॥ ~~आयकर विभाग/आयकर विभाग/आयकर विभाग/आयकर विभाग~~ यदि भविष्य में आयकर विभाग को काटी गई राशि व कटौत राशि का झुतान भी करना पड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी निर्धारित की जाए व अनुपालना आगामी अंश के समय दिखाई जाए

99.

कृषि आय विवरणिका :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

100.

निष्कर्ष :-

समस्त पैरों पर शीघ्र कार्यवाही व उनके निस्तारण हेतु उचित पर
यम उठाए जाने का अनुरोध किया जाता है।

31/07/2018

सहायक निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पञ्चांग संख्या: पितृ. उल. स. सी. 15. 14. 75/93-काह-18, तिथि, शिवा-9.
प्रतिलिपि सफाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- 22 JAN 2002

1. चित्तागुप्त एवं सचिव आवास हि० प्र० सरकार शिमला-17 1002 को इस आवास के साथ प्रेषित है कि वे आवास बोर्ड अधिकारियों को लेजा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पत्रों के निस्तारण हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करने की अनुमति करें।
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हि० प्र० आवास बोर्ड निगम बिहार शिमला-2.
3. अध्यागती अभियन्ता, आवास बोर्ड शिमला महल संख्या 1 व 2 ॥ १००२ ॥ विद्युत ॥ युटिलिटी ब्लाक फेज-3 न्यू शिमला ।

कार मिलाव प्राधिकरण के बनाया अनिवार्यता जापदितियों की सूची ।

अवधि 1998-99

मा लेजा परीक्षा प्रतिवेदनों के पैरों की स्थिति :-

मा लेजा परीक्षा प्रतिवेदनों पर को गई कार्यवाही के लेजा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख सहित पुनः परीक्षा को गई तथा यह पाया गया कि अधिकांश पैरों को कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है तथा न ही कोई उचित प्रयास भी किए गए हैं। अनिवार्यता पैरों के निम्नलिखित उचित कार्यवाही करने हेतु सचिव [आचार्य] विभागत प्रदेश सरकार द्वारा पुनः उपयुक्त निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है :-

अनिर्णित प्रतिवेदन अवधि 1988-89 :-

- | | |
|---------------|----------|
| 1. पैरा 6 | अनिर्णित |
| 2. पैरा 10 | अनिर्णित |
| 3. पैरा 11[क] | अनिर्णित |

अनिर्णित प्रतिवेदन अवधि 1989-90 :-

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. पैरा 6 | अनिर्णित |
| 2. पैरा 8[ख] | अनिर्णित |
| 3. पैरा 10 | अनिर्णित |
| 4. पैरा 12[ब] | अनिर्णित |
| 5. पैरा 12[घ] | अनिर्णित |
| 6. पैरा 12[ड.] | अनिर्णित |
| 7. पैरा 12[च] | अनिर्णित |
| 8. पैरा 13[ग] | अनिर्णित |
| 9. पैरा 13[घ] | अनिर्णित |
| 10. पैरा 13[ड.] | अनिर्णित |
| 11. पैरा 14[क] | अनिर्णित |
| 12. पैरा 17[क] | अनिर्णित |
| 13. पैरा 17[ब] | अनिर्णित |
| 14. पैरा 17[ग] | अनिर्णित |

15. पैरा 19।ग।	अनिर्णीत
16. पैरा 19।घ।	अनिर्णीत
17. पैरा 19।च।	अनिर्णीत
18. पैरा 19।छ।	अनिर्णीत
19. पैरा 19।ज।	अनिर्णीत
20. पैरा 19।झ।	अनिर्णीत
21. पैरा 19।ड।	अनिर्णीत
22. पैरा 23।ग।	निर्णीत ॥ समायोजन के-डा वर्ष 97-98 द्वारा ॥
23. पैरा 23।डं.।	अनिर्णीत
24. पैरा 24	अनिर्णीत
25. पैरा 25	अनिर्णीत
26. पैरा 26	अनिर्णीत
27. पैरा 27	अनिर्णीत

अवेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1990-91 :-

1. पैरा 5	निर्णीत ॥ कार्यवाही समीक्षा के पश्चात् ॥
2. पैरा 6	निर्णीत —"—
3. पैरा 7	अनिर्णीत —"—
4. पैरा 8	अनिर्णीत —"—
5. पैरा 9	अनिर्णीत —"—
6. पैरा 10	अनिर्णीत
7. पैरा 11	अनिर्णीत
8. पैरा 13	अनिर्णीत
9. पैरा 14	अनिर्णीत
10. पैरा 15	अनिर्णीत
11. पैरा 16	अनिर्णीत
12. पैरा 17	अनिर्णीत
13. पैरा 18	अनिर्णीत
14. पैरा 20	अनिर्णीत
15. पैरा 21	अनिर्णीत

17. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
18. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
19. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
20. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
21. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
22. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
23. પેરા 12	અનિર્ણીત ।
24. પેરા 13	અનિર્ણીત ।
25. પેરા 14	અનિર્ણીત ।
26. પેરા 15	અનિર્ણીત ।
27. પેરા 16	અનિર્ણીત ।
28. પેરા 17	અનિર્ણીત ।
29. પેરા 18	અનિર્ણીત ।
30. પેરા 19	અનિર્ણીત ।
31. પેરા 20	અનિર્ણીત ।
૩૧. પેરા ૨૦ ૧૫ વી સી ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦	
32. પેરા 21	અનિર્ણીત ।
33. પેરા 22	અનિર્ણીત ।
34. પેરા 23	અનિર્ણીત ।
35. પેરા 24	અનિર્ણીત ।
36. પેરા 25	અનિર્ણીત ।
37. પેરા 26	અનિર્ણીત ।
38. પેરા 27	અનિર્ણીત ।
39. પેરા 28	અનિર્ણીત ।
40. પેરા 29	અનિર્ણીત ।
41. પેરા 30	અનિર્ણીત ।
42. પેરા 31	અનિર્ણીત ।
43. પેરા 32	અનિર્ણીત ।
44. પેરા 33	અનિર્ણીત ।
45. પેરા 34	અનિર્ણીત ।

48. पैरा 71	अनिर्णीत
49. पैरा 73	अनिर्णीत
50. पैरा 75	अनिर्णीत
51. पैरा 76	अनिर्णीत ।

अंश प्रसिद्धन अवधि 1991-92

1. पैरा 51क से ट1 निर्णीत ॥ सम्बन्धित प्रविष्टियों की दृष्टि को गई ॥

2. पैरा 51ठ से न1 अनिर्णीत

3. पैरा 6 अनिर्णीत

॥ केवल 61अ, 61ट1 कम सं० 3, 4 व 5 निर्णीत ॥

4. पैरा 7 अनिर्णीत

5. पैरा 8 अनिर्णीत

6. पैरा 91क1 अनिर्णीत

7. पैरा 91ख1 अनिर्णीत

8. पैरा 91ग1 अनिर्णीत

9. पैरा 91घ1 अनिर्णीत

10. पैरा 91ङ1 अनिर्णीत

10. पैरा 91च1 अनिर्णीत

12. पैरा 91छ1 अनिर्णीत

13. पैरा 91ज1 अनिर्णीत

14. पैरा 91झ1 अनिर्णीत

15. पैरा 91झ1 अनिर्णीत

16. पैरा 91ट1 11 अनिर्णीत

17. पैरा 91ट1 41 अनिर्णीत

18. पैरा 91ड1 11 अनिर्णीत

19. पैरा 91ड1 21 अनिर्णीत

20. पैरा 91ड1 11 अनिर्णीत

21. पैरा 91ड1 21 अनिर्णीत

22. पैरा 91ड1 41 अनिर्णीत

23. पैरा 91ड1 51 अनिर्णीत

24. पैरा 91ण1 अनिर्णीत

25. पैरा 91ण1 अनिर्णीत

... ..

26. પેરા 9 ૧ 11	અનિર્ણીત
27. પેરા 9 ૧ 21	અનિર્ણીત
28. પેરા 9 ૧ 41	અનિર્ણીત ।
29. પેરા 9 ૧ 71	અનિર્ણીત ।
30. પેરા 9 ૧ 81	અનિર્ણીત ।
31. પેરા 9 ૧	અનિર્ણીત
32. પેરા 9 ૧	અનિર્ણીત ।
33. પેરા 9 ૧	અનિર્ણીત ।
34. પેરા 10 ૧	અનિર્ણીત ।
35. પેરા 10 ૧	અનિર્ણીત ।
36. પેરા 11	અનિર્ણીત ।

ઝીલ્લા પ્રતિષ્ઠાન અગષ્ઠિ 1992-93 :-

1. પેરા 3
2. પેરા 4

નિર્ણીત । ઝીલ્લા સુલ્ક આ લો સુલ્ક લે ।
 નિર્ણીત । સમ્પત્તિ અભિલેખ તથા નોંધપાત્ર
 રિપોર્ટ અનુસાર ।

3. પેરા 5	અનિર્ણીત ।
4. પેરા 6	નિર્ણીત ।
5. પેરા 7	અનિર્ણીત ।
6. પેરા 8	અનિર્ણીત ।
7. પેરા 9	અનિર્ણીત
8. પેરા 10	અનિર્ણીત ।
9. પેરા 11	અનિર્ણીત ।
10. પેરા 12	અનિર્ણીત ।
11. પેરા 13	અનિર્ણીત ।
12. પેરા 14	અનિર્ણીત ।
13. પેરા 15	અનિર્ણીત ।
14. પેરા 16 ૧	અનિર્ણીત
15. પેરા 16 ૧	અનિર્ણીત ।
16. પેરા 16 ૧	અનિર્ણીત ।
17. પેરા 17	અનિર્ણીત ।
18. પેરા 18 ૧	અનિર્ણીત ।

... ..

19. पैरा 19	अनिर्णीत ।
20. पैरा 23	अनिर्णीत ।
21. पैरा 24	अनिर्णीत ।
22. पैरा 25	अनिर्णीत ।
23. पैरा 26	अनिर्णीत ।
24. पैरा 27	अनिर्णीत ।
25. पैरा 28	अनिर्णीत ।
26. पैरा 29	अनिर्णीत ।
27. पैरा 30	अनिर्णीत ।
28. पैरा 31	अनिर्णीत ।
29. पैरा 32	निर्णीत ।
30. पैरा 33	निर्णीत ।

श्रीक्षेत्र प्रतिवेदन अवधि 1993-94 :-

1. पैरा 4	अनिर्णीत ।
2. पैरा 5	अनिर्णीत ।
3. पैरा 6	अनिर्णीत ।
4. पैरा 7	अनिर्णीत ।
5. पैरा 8	अनिर्णीत ।
6. पैरा 9	अनिर्णीत ।
7. पैरा 10	अनिर्णीत ।
8. पैरा 11।बी।	अनिर्णीत ।
9. पैरा 11।जी।	अनिर्णीत ।
10. पैरा 11।डी।	अनिर्णीत ।
11. पैरा 11।ई।	अनिर्णीत ।
12. पैरा 11।जी।	अनिर्णीत ।
13. पैरा 11।एच।	अनिर्णीत ।
14. पैरा 11।आई।	अनिर्णीत ।
15. पैरा 11।जे।	अनिर्णीत ।
16. पैरा 11।के।	अनिर्णीत ।

17. पैरा 23	अनिर्णीत
18. पैरा 24	अनिर्णीत
19. पैरा 25	अनिर्णीत
20. पैरा 26	अनिर्णीत
21. पैरा 27	अनिर्णीत
22. पैरा 29	अनिर्णीत
23. पैरा 30	अनिर्णीत
24. पैरा 31	निर्णीत
25. पैरा 32	निर्णीत
26. पैरा 33	निर्णीत
27. पैरा 34	निर्णीत
28. पैरा 42	अनिर्णीत
29. पैरा 43 अ. बी.	अनिर्णीत
30. पैरा 46	अनिर्णीत
31. पैरा 47	अनिर्णीत
32. पैरा 48 2	अनिर्णीत
33. पैरा 50	अनिर्णीत
34. पैरा 51 2	अनिर्णीत
35. पैरा 53 अ. बी.	अनिर्णीत
36. पैरा 55	अनिर्णीत
37. पैरा 58	अनिर्णीत
38. पैरा 59	अनिर्णीत
39. पैरा 60	अनिर्णीत
40. पैरा 61	अनिर्णीत
41. पैरा 62	अनिर्णीत
42. पैरा 63	अनिर्णीत
43. पैरा 64	निर्णीत
44. पैरा 65	अनिर्णीत
45. पैरा 66	निर्णीत
46. पैरा 67	अनिर्णीत
47. पैरा 70	अनिर्णीत

सहायक नियन्त्रक स्थानीय निधि
लेखा के पत्रांक दिनांक 12.10.95
को सम्पूर्ण प्रकरण का अभिलेख
सहित परीक्षण करके मसूदा व अन्य
कार्यवाही को पुरिष्ठ की गई।

1. પેરા 488	અનિર્ણીત ।
2. પેરા 489	અનિર્ણીત ।
3. પેરા 490	અનિર્ણીત ।
4. પેરા 491	અનિર્ણીત ।
5. પેરા 492	અનિર્ણીત ।
6. પેરા 502	અનિર્ણીત ।
7. પેરા 503	અનિર્ણીત ।
8. પેરા 504	અનિર્ણીત ।
9. પેરા 505	અનિર્ણીત ।
10. પેરા 506	અનિર્ણીત ।
11. પેરા 507	અનિર્ણીત ।
12. પેરા 508	અનિર્ણીત ।
13. પેરા 509	અનિર્ણીત ।
14. પેરા 510	અનિર્ણીત ।
15. પેરા 511	અનિર્ણીત ।
16. પેરા 512	અનિર્ણીત ।
17. પેરા 513	અનિર્ણીત ।
18. પેરા 514	અનિર્ણીત ।
19. પેરા 515	અનિર્ણીત ।
20. પેરા 516	અનિર્ણીત ।
21. પેરા 517	અનિર્ણીત ।
22. પેરા 518	અનિર્ણીત ।
23. પેરા 519	અનિર્ણીત ।
24. પેરા 520	અનિર્ણીત ।
25. પેરા 521	અનિર્ણીત ।
26. પેરા 522	અનિર્ણીત ।
27. પેરા 523	અનિર્ણીત ।
28. પેરા 524	અનિર્ણીત ।
29. પેરા 525	અનિર્ણીત ।
30. પેરા 526	અનિર્ણીત ।

31. पैरा 5।24।

32. पैरा 6।3।1।

33. पैरा 6।3।4।

34. पैरा 6।5।

35. पैरा 6।6।

36. पैरा 6।16।

37. पैरा 6।18।

38. पैरा 6।19।

39. पैरा 6।20।

40. पैरा 7।1।

41. पैरा 7।2।

42. पैरा 7।3।बो।

43. पैरा 7।8।

44. पैरा 7।11।

45. पैरा 8

46. पैरा 9

47. पैरा 13।1।

48. पैरा 13।3।क।

49. पैरा 13।4।

50. पैरा 14

51. पैरा 16

52. पैरा 19

53. पैरा 21

54. पैरा 23

55. पैरा 25

56. पैरा 31

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अनिर्णित

अध्यापक प्रतिवेदन अवधि 1995-96 :-

1. पैरा 4।ए के ओ।

2. पैरा 5।बी के ई।

3. पैरा 6

अनिर्णित 1. पूरा का पूर्ण समाप्तोत्तर हो चुका है।

अनिर्णित

अनिर्णित

1. पूरा

4. पैरा 71ए1

अनिर्णित

5. पैरा 71बी1

अनिर्णित

6. पैरा 8

अनिर्णित

7. पैरा 9

अनिर्णित

8. पैरा 10

अनिर्णित

9. पैरा 111ए1

अनिर्णित

10. पैरा 12

अनिर्णित

11. पैरा 13

अनिर्णित

12. पैरा 14

अनिर्णित

13. पैरा 15

अनिर्णित कुल खंडपा 7 समाप्त रु 2250.00
खर्च को कपूती की मुष्टि को गई।

14. पैरा 17

अनिर्णित

15. पैरा 191 बी, सी, डी, ई अनिर्णित ।

16. पैरा 20

अनिर्णित ।

17. पैरा 21

अनिर्णित

18. पैरा 22

अनिर्णित -

19. पैरा 23

अनिर्णित - (केवल 23(ए) निर्णित - अर्थात्

20. पैरा 24

अनिर्णित निर्देशक (ले. प्र. ७) द्वारा अर्थात्

21. पैरा 25

अनिर्णित दल के पत्र २२५ गरीब करण।

22. पैरा 26

अनिर्णित ले. १८(ए. ७) के (२) सी (१५) ११/८७ २००३-१

23. पैरा 27

अनिर्णित - पैरा 26(१) व 26(११) - निर्णित - अर्थात्

24. पैरा 28

अनिर्णित निर्देशक (ले. प्र. ७) द्वारा अर्थात् दल

25. पैरा 29

अनिर्णित के पत्र २२५ व २२६ गरीब करण। ले. १८(ए. ७) के (२) सी (१५) ११/८७ २००३-१

26. पैरा 30

अनिर्णित के अ. नुसार।

27. पैरा 31

अनिर्णित

28. पैरा 32

अनिर्णित

29. पैरा 33

अनिर्णित

30. पैरा 34

अनिर्णित

31. पैरा 35

अनिर्णित

32. पैरा 36

अनिर्णित

33. पैरा 37

अनिर्णित

34. पैरा 38

अनिर्णित ।

35. पैरा 39	अनिर्णीत
36. पैरा 40	अनिर्णीत
37. पैरा 41	अनिर्णीत
38. पैरा 42	अनिर्णीत
39. पैरा 43	अनिर्णीत
40. पैरा 44	अनिर्णीत
41. पैरा 45	अनिर्णीत
42. पैरा 46	अनिर्णीत
43. पैरा 47	अनिर्णीत
44. पैरा 48	अनिर्णीत
45. पैरा 49	अनिर्णीत
46. पैरा 50	अनिर्णीत
47. पैरा 51	अनिर्णीत

अंतिम प्रतिवेदन अवधि 1996-97 :-

1. पैरा 4121	अनिर्णीत
2. पैरा 4131	अनिर्णीत
3. पैरा 4141	अनिर्णीत
4. पैरा 4161क1	निर्णीत । कर्मचारी वेतों में वृद्धि ।
5. पैरा 4161ख1	निर्णीत । कर्मचारी वेतों में वृद्धि ।
6. पैरा 4110111	अनिर्णीत ।
7. पैरा 4110121	अनिर्णीत
8. पैरा 41111	अनिर्णीत
9. पैरा 41131	निर्णीत । नगर 32/2000-01 द्वारा प्रविष्टि कृतपत्र ।
10. पैरा 41141	अनिर्णीत
11. पैरा 41151	अनिर्णीत
12. पैरा 5111	अनिर्णीत
13. पैरा 5121	अनिर्णीत
14. पैरा 5131	अनिर्णीत
15. पैरा 5141	अनिर्णीत

16. पैरा 6।प।	अनिर्णित
17. पैरा 6।डं.।	अनिर्णित
18. पैरा 6।व।	अनिर्णित
19. पैरा 7।नद सं. 1, 5, 6, 10 व 13 बनाया।	अनिर्णित । नद सं 1 बनाया रु 4800/- हथके की वस्तुओं को सुरक्षित को गई।
20. पैरा 8	अनिर्णित
21. पैरा 9।क।	अनिर्णित
22. पैरा 9।ख।	अनिर्णित
23. पैरा 9।ग।	अनिर्णित
24. पैरा 9।घ।	अनिर्णित
25. पैरा 10	अनिर्णित
26. पैरा 11।1।	अनिर्णित
27. पैरा 11।2।	अनिर्णित
28. पैरा 11।3।	अनिर्णित
29. पैरा 12।1।	अनिर्णित । संशोधित रु 372.00 हथके की वस्तुओं को परीक्षण, स्थानीय निधि के आ द्वारा रि 27, द्वारा सुरक्षा को गई है को रु सुरक्षित अंश में नहीं करवाई गई
30. पैरा 12।2।	अनिर्णित
31. पैरा 12।3।	अनिर्णित
32. पैरा 12।4।	अनिर्णित
33. पैरा 12।5।	अनिर्णित
34. पैरा 12।6।	अनिर्णित
35. पैरा 12।7।	अनिर्णित
36. पैरा 12।8।	अनिर्णित
37. पैरा 12।9।	अनिर्णित
38. पैरा 12।10।	अनिर्णित
39. पैरा 13।ग।	अनिर्णित
40. पैरा 13।डं.।	अनिर्णित
41. पैरा 13।ख।	अनिर्णित
42. पैरा 13।व।	अनिर्णित

43. पैरा 13।अ।	अनिर्णोति
44. पैरा 13।ग।	अनिर्णोति
45. पैरा 13।ट।	अनिर्णोति
46. पैरा 13।ड।	अनिर्णोति
47. पैरा 13।ड।	अनिर्णोति
48. पैरा 13।ण।अ।	अनिर्णोति
49. पैरा 15	अनिर्णोति
50. पैरा 16।ग।	अनिर्णोति
51. पैरा 17।अ।	अनिर्णोति ।
52. पैरा 17।ग।	अनिर्णोति
53. पैरा 17।घ।	अनिर्णोति
54. पैरा 18।क।	अनिर्णोति
55. पैरा 18।ख।	अनिर्णोति
56. पैरा 18।ग।	अनिर्णोति
57. पैरा 18।घ।	अनिर्णोति
58. पैरा 18।ङ।	अनिर्णोति
59. पैरा 18।च।	अनिर्णोति
60. पैरा 19।क।	अनिर्णोति
61. पैरा 19।ग।	अनिर्णोति
62. पैरा 19।घ।	अनिर्णोति
63. पैरा 19।ङ।अ।	अनिर्णोति
64. पैरा 20।ग।	अनिर्णोति
65. पैरा 24।क।	अनिर्णोति
66. पैरा 24।ख।	अनिर्णोति
67. पैरा 24।ग।	अनिर्णोति
68. पैरा 24।ङ।	अनिर्णोति
69. पैरा 26।क।	अनिर्णोति
70. पैरा 26।ख।	अनिर्णोति
71. पैरा 27।क।	निर्णोति । पूर्व समीक्षा तथा सरकार द्वारा जारी क्लोसरी मजदूरी के अनुषंग।
72. पैरा 27।ख।	निर्णोति

73. पैरा 28

अनिर्णित

74. पैरा 29

निर्णित ॥ निर्धारित दर छान प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ॥

75. पैरा 30।क।

अनिर्णित

76. पैरा 30।ख।

अनिर्णित

77. पैरा 30।ग।

अनिर्णित

78. पैरा 30।घ।

अनिर्णित

79. पैरा 30।ङं।

अनिर्णित

80. पैरा 30।च।

अनिर्णित

81. पैरा 31।क।

निर्णित ॥ प्रस्तुत उत्तर के आधार पर।

82. पैरा 31।ख।

निर्णित —"—

83. पैरा 31।ग।

अनिर्णित

84. पैरा 31।घ।

अनिर्णित

85. पैरा 31।ङं।

निर्णित ॥ प्रस्तुत उत्तर के आधार पर।

86. पैरा 31।च।

अनिर्णित

87. पैरा 31।छ।

अनिर्णित

88. पैरा 31।ज।

अनिर्णित

89. पैरा 31।झ।।

निर्णित ॥ प्रस्तुत प्रमाणित उत्तर के आधार पर ॥

90. पैरा 31।न।2।

निर्णित —"—

91. पैरा 31।प।

निर्णित —"—

92. पैरा 31।ट।

निर्णित —"—

93. पैरा 32

अनिर्णित

94. पैरा 33।क।

अनिर्णित

85. पैरा 33।ख।

अनिर्णित

96. पैरा 34।ब।

निर्णित ॥ मुमान दर को पुष्टि की गई।

97. पैरा 35।ख।

अनिर्णित

98. पैरा 35।ग।

अनिर्णित

99. पैरा 35।घ।

अनिर्णित

100. पैरा 36

निर्णित ॥ प्रिन्टी कर काट दिया गया ॥

101. पैरा 37

अनिर्णित

102. पैरा 38 निर्गोत ॥ केवल छिपी करे को अधिक काटो
राशि वापिस की गई ॥
103. पैरा 39 ॥ क ॥ अनिर्गोत
पैरा 39 ॥ ख ॥ अनिर्गोत
104. पैरा 39 ॥ ग ॥ निर्गोत ॥ क्यूती को छुट्टि को गई ॥
105. पैरा 40 ॥ क ॥ अनिर्गोत
106. पैरा 40 ॥ ख ॥ अनिर्गोत
107. पैरा 41 अनिर्गोत
108. पैरा 42 ॥ क ॥ निर्गोत ॥ प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ॥
109. पैरा 43 निर्गोत ॥ पुराने दरों को क्यूती को छुट्टि
की गई ॥
110. पैरा 44 ॥ क ॥ अनिर्गोत
111. पैरा 45 ॥ क ॥ अनिर्गोत
112. पैरा 46 अनिर्गोत
113. पैरा 43 अनिर्गोत
114. पैरा 49 ॥ क ॥ अनिर्गोत
115. पैरा 49 ॥ ख ॥ अनिर्गोत
116. पैरा 50 अनिर्गोत
117. पैरा 51 ॥ क ॥ अनिर्गोत
118. पैरा 51 ॥ ख ॥ अनिर्गोत
119. पैरा 52 अनिर्गोत
120. पैरा 53 ॥ 1 ॥ अनिर्गोत
121. पैरा 53 ॥ 2 ॥ अनिर्गोत
122. पैरा 54 ॥ घ ॥ अनिर्गोत
123. पैरा 61 ॥ ख ॥ अनिर्गोत
124. पैरा 64 ॥ क ॥ अनिर्गोत
125. पैरा 64 ॥ ख ॥ अनिर्गोत
126. पैरा 64 ॥ ग ॥ अनिर्गोत
127. पैरा 65 अनिर्गोत
128. पैरा 67 अनिर्गोत
129. पैरा 68 अनिर्गोत
130. पैरा 70 अनिर्गोत
131. पैरा 71 अनिर्गोत

132. पैरा	72 क॥	अनिर्णीत
133. पैरा	72 ख॥	अनिर्णीत
134. पैरा	72 ग॥	अनिर्णीत
135. पैरा	73 क॥	अनिर्णीत
136. पैरा	73 ख॥	अनिर्णीत
137. पैरा	73 ग॥	अनिर्णीत
138. पैरा	73 घ॥	अनिर्णीत
139. पैरा	73 ङ॥	अनिर्णीत
140. पैरा	73 च॥	अनिर्णीत
141. पैरा	73 छ॥	अनिर्णीत
142. पैरा	74	अनिर्णीत
143. पैरा	75	अनिर्णीत
144. पैरा	76	अनिर्णीत
145. पैरा	77 क॥	अनिर्णीत
146. पैरा	77 ख॥	अनिर्णीत
147. पैरा	78	अनिर्णीत
148. पैरा	79	अनिर्णीत
149. पैरा	80	अनिर्णीत
150. पैरा	81	अनिर्णीत
151. पैरा	82	अनिर्णीत
152. पैरा	83	अनिर्णीत
153. पैरा	84	अनिर्णीत

अंकेषण प्रतिवेदन अधि 1997-98 :-

1. पैरा	4 क॥ 8॥	अनिर्णीत
2. पैरा	4 ख॥	अनिर्णीत
3. पैरा	4 ग॥	निर्णीत ॥ समायोजन की पुष्टि की गई ॥
4. पैरा	4 घ॥	निर्णीत ॥ -- ॥
5. पैरा	4 ङ॥	अनिर्णीत
6. पैरा	5	अनिर्णीत

7. पैरा	5१ख	अनिर्णीत
8. पैरा	6	अनिर्णीत
9. पैरा	7	अनिर्णीत
10. पैरा	8(क)	अनिर्णीत
11. पैरा	8ख	निर्णीत। छुटि की बातों में शुद्धि की पुष्टि की गई।
12. पैरा	8गख	अनिर्णीत
13. पैरा	8गख	अनिर्णीत
14. पैरा	9	अनिर्णीत
15. पैरा	10	अनिर्णीत
16. पैरा	11	अनिर्णीत
17. पैरा	12क	अनिर्णीत
18. पैरा	12ख	अनिर्णीत
19. पैरा	12ग	अनिर्णीत
20. पैरा	12घ	अनिर्णीत
21. पैरा	12ङ.	अनिर्णीत
22. पैरा	12च	अनिर्णीत
23. पैरा	13क	अनिर्णीत
पैरा	13ख	अनिर्णीत
पैरा	13ख2	अनिर्णीत
पैरा	13ख3	अनिर्णीत
पैरा	13ख4	अनिर्णीत
पैरा	13ख5	अनिर्णीत।
पैरा	13ख6	अनिर्णीत
24. पैरा	14	अनिर्णीत
25. पैरा	15क	अनिर्णीत
26. पैरा	15ख	अनिर्णीत
27. पैरा	15ग	अनिर्णीत
28. पैरा	15घ	अनिर्णीत
29. पैरा	15ङ.	अनिर्णीत

30. पैरा	15 प	अनिर्णीत समझ।
31. पैरा	15 ख 1	अनिर्णीत
32. पैरा	15 ख 2	अनिर्णीत
33. पैरा	15 ज	अनिर्णीत
34. पैरा	15 झ	अनिर्णीत
35. पैरा	15 प	अ निर्णीत। टिप्पण्ट वसुली की पुष्टि वक आहर 18-97-98 के की गई
36. पैरा	15 फ	अनिर्णीत
37. पैरा	15 ब	अनिर्णीत
38. पैरा	15 भ	अनिर्णीत
39. पैरा	15 म	अनिर्णीत
40. पैरा	15 त	अनिर्णीत
41. पैरा	15 थ 1	अनिर्णीत
42. पैरा	15 थ 2	अनिर्णीत
43. पैरा	15 थ 3	अनिर्णीत
44. पैरा	16 क	अनिर्णीत
45. पैरा	16 ख	अनिर्णीत
46. पैरा	16 ग	अनिर्णीत
47. पैरा	17 1	अनिर्णीत
पैरा	17 2	अनिर्णीत
पैरा	17 3	अनिर्णीत
पैरा	17 4	अनिर्णीत
48. पैरा	18 क	अनिर्णीत
49. पैरा	18 ख	अनिर्णीत
50. पैरा	18 ग	अनिर्णीत
51. पैरा	18 घ	अनिर्णीत
52. पैरा	18 ङ	अनिर्णीत
53. पैरा	18 च 1	अनिर्णीत
54. पैरा	18 च 2	अनिर्णीत

52. पैरा	181 लू	अनिर्णीत
53. पैरा	181 जू	अनिर्णीत
54. पैरा	181 झू	अनिर्णीत
55. पैरा	181 णू	अनिर्णीत
56. पैरा	181 पू	अनिर्णीत
57. पैरा	181 फू	अनिर्णीत
58. पैरा	181 बू	अनिर्णीत
59. पैरा	181 भू	अनिर्णीत
60. पैरा	194 कू	अनिर्णीत
61. पैरा	194 खू	अनिर्णीत
62. पैरा	194 गू	अनिर्णीत
63. पैरा	194 ङू	अनिर्णीत
64. पैरा	201 कू 18	निर्णीत ॥ कार्योत्तर स्वीकृति की की मुद्रि ट की गई ॥
	201 कू 22	अनिर्णीत
	201 कू 18	अनिर्णीत
65. पैरा	201 जू	अनिर्णीत
66. पैरा	प्र 201 गू 18	अनिर्णीत
	201 गू 22	अनिर्णीत
	201 गू 33	निर्णीत। मु0 250 रु0 जमा कर दिश गए ॥
67. पैरा	201 घू 18	अनिर्णीत
	201 घू 28	निर्णीत ॥ मु0 385 रु0 जमा करवा दिश गए।
68. पैरा	201 ङू ॥	निर्णीत ॥ स्वीकृतिनुसार ॥
69. पैरा	201 चू	अनिर्णीत
70. पैरा	201 छू	अनिर्णीत
	॥ देवल प्रम सं0 1 समाप्त ॥	
71. पैरा	201 जू	अनिर्णीत
72. पैरा	211 18	अनिर्णीत ॥ मु0 1,34,031 रु0 की वसूली सम्बन्धित संधिदाकार से अपेक्षा है ॥

73. पैरा	2।2।।	अनिर्णीत
74. पैरा	2।2।क	अनिर्णीत
75. पैरा	2।3।	अनिर्णीत। राशि रु० 5,00,527/- रु० की वसूली अपेक्षित है।
76. पैरा	2।।10।ख	अनिर्णीत।
77. पैरा	2।।13।क	अनिर्णीत
78. पैरा	22।।क	अनिर्णीत
79. पैरा	22।।ख	अनिर्णीत
	22।।घ	निर्णीत। समय बढ़ोतरी की स्वीकृति की पुष्टि की गई।
79. पैरा	22।2।	निर्णीत। अभिलेखानुसार संदिग्ध भुगतान नहीं पाया गया।
80. पैरा	22।3।क	निर्णीत। दर निर्धारण तहसिल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित।
81. पैरा	22।3।ख	अनिर्णीत
82. पैरा	22।4।क	निर्णीत। अंतिम बिल में दर रु० 241.20 के भुगतान किया गया।
	22।4।ख	निर्णीत।
83. पैरा	22।5।क	निर्णीत। प्रस्तुत उत्तर के आधार पर।
	22।5।ख	निर्णीत। रु० 3289.45 रु० की वसूली धरोहर राशि से 7.11.00 को की गई।
84. पैरा	22।6।	निर्णीत। वसूली अन्तिम बिल में की गई जोकि उच्च न्यायालय में लम्बित है।
85. पैरा	22।7।क	निर्णीत। तहसिल प्राधिकारी से अनुमोदित।
	22।7।ख	निर्णीत। कवर पेश की दर में प्रेम का शुल्क नहीं लिया गया।
	22।7।ग	निर्णीत। प्रस्तुत उत्तर के आधार पर।
	22।7।घ	अनिर्णीत।
	22।7।ङ	निर्णीत। कार्य मात्रा में अन्य बाहरी कार्य करवाया गया।

	22१ 7१ च१	अनिर्णीत
	22१ 7१ छ१	निर्णीत१ प्रस्तुत प्रमाणित उत्तर के आधार पर ११
86. पैरा	22१ 8१ क१	निर्णीत। १ मु० 2,71,856 रु० की वसूली की गई जो कि उच्च न्यायालय में लम्बित है ११
	22१ 8१ ख१	निर्णीत
	22१ 8१ ग१	अनिर्णीत
87. पैरा	22१ 9१	अनिर्णीत ११ कुल्लू उप मण्डल से सम्बन्धित ११
88. पैरा	22१ 10१ क१	निर्णीत ११ प्रस्तुत प्रमाणित उत्तर के आधार पर ११
	22१ 10१ ख१	अनिर्णीत
	22१ 10१ ग१	अनिर्णीत
	22१ 10१ घ१	अनिर्णीत
89. पैरा	22१ 11१	निर्णीत। १ मु० 8235 रु० की वसूली माप पुस्तिका सं० 274 पृ० 92 द्वारा की गई ११
90. पैरा	22१ 12१	अनिर्णीत ११
91. पैरा	22१ 13१	निर्णीत ११ वसूली की पुष्टि की गई ११
92. पैरा	22१ 14१	अनिर्णीत
93. पैरा	22१ 15१	निर्णीत ११ पुर्न निष्कारित दर मु० 1659 रु० से झुगतान किया गया ११
94. पैरा	22१ 16१	अनिर्णीत
95. पैरा	22१ 17१	अनिर्णीत
96. पैरा	22१ 18१	निर्णीत।
97. पैरा	22१ 19१	अनिर्णीत
98. पैरा	22१ 20१	अनिर्णीत
99. पैरा	22१ 21१	निर्णीत ११ अधिष्ठान कर्मचारी दैनिक भोगी ही रहे हैं ११
100. पैरा	22१ 22१	अनिर्णीत
101. पैरा	22१ 23१	निर्णीत

102. पैरा	22१24१
103. पैरा	22१25१
104. पैरा	22१26१
105 पैरा	22१27१क१
	22१27१ख१
106. पैरा	22१28१
107. पैरा	22१29१
108. पैरा	22१30१
109. पैरा	22१31१
110. पैरा	22१32१
111. पैरा	22१33१क१
	22१33१ख१
	22१33१ग१
	22१33१घ१
112. पैरा	22१34१
113. पैरा	22१35१
114. पैरा	22१36१2१
115. पैरा	22१38१क१
	22१38१ख१
	22१38१ग१
	22१38१घ१
116. पैरा	22१39१
117. पैरा	22१40१
118. पैरा	22१41१

निष्ठा-सूचक :-

119. पैरा	23१1१क१
120. पैरा	23१1१ख१

निर्णीत॥ धरोहर राशि 23.9.95
को प्राप्त की गई थी॥
निर्णीत॥ बिजली बिल का सम.ती.ती
के आधार पर॥
अनिर्णीत।
निर्णीत॥ प्रस्तुत प्रमाणित उत्तर के
आधार पर॥
निर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत॥ कुल्लू उपमण्डल से सम्बन्धित॥
अब निर्णीत
निर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
निर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
निर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
अनिर्णीत
निर्णीत॥ प्रस्तुत प्रमाणित उत्तर के
आधार पर॥
निर्णीत॥ पुष्टि की गई॥
अनिर्णीत।

अनिर्णीत
अनिर्णीत॥ सम. ए. एस. रजिस्टर में
सू. 16,740 रु. के प्राप्त परचमों
की वसूली की अन्तिम बिना से
पुष्टि अपेक्षित है॥

	23१ ११ ग१	अनिर्णीत
	23१ ११ घ१	निर्णीत ॥ भारतीय गुणवत्ता संस्था द्वारा माप तोल की पुष्टि के अनुसार 3.3 गुणक देय ॥
121. पैरा	24१ क१	निर्णीत ॥ प्रस्तुत उत्तर के आर्णर स्व विप्लन की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति की पुष्टि की गई ॥
	24१ ख१	निर्णीत
	24१ ग१	निर्णीत ।
122. पैरा	25१ क१	अनिर्णीत
	25१ ख१	अनिर्णीत
	25१ ग१	अनिर्णीत
123. पैरा	26१ क१	अनिर्णीत ॥ मामला आरबी क्षेत्र में है ॥
124. पैरा	26	निर्णीत । १ पूरे वर्ष की स्थिति पैरा 14 में सम्मिलित ॥
125. पैरा	30१ क१	अनिर्णीत
126. पैरा	33१ क१	अनिर्णीत
	33१ ख१	अनिर्णीत
	33१ ग१	अनिर्णीत
	33१ घ१	अनिर्णीत
	33१ ङ१	अनिर्णीत ।
	33१ च१	अनिर्णीत
	33१ छ१	अनिर्णीत
	33१ ज१	अनिर्णीत
	33१ झ१	अनिर्णीत
	33१ ञ१	अनिर्णीत
	33१ त१	अनिर्णीत
	33१ थ१	अनिर्णीत

127. पैरा	34४ क४	अनिणीत
	34४ ख४	अनिणीत
	34४ ग४	अनिणीत
	34४ ड. ४	अनिणीत
	34४ च४	अनिणीत
	34४ छ४	अनिणीत
	34४ ज४	अनिणीत
	34४ झ४	अनिणीत
	34४ ञ४	अनिणीत
	34४ ट४	अनिणीत
	34४ ठ४	अनिणीत
	34४ ड४	अनिणीत
	34४ ढ४	अनिणीत
	35४ क४	अनिणीत
	35४ ख४	अनिणीत
128. पैरा	35४ ग४	अनिणीत
	35४ घ४	अनिणीत
	35४ ङ. ४	अनिणीत
	36४ क४	अनिणीत
	36४ ख४	अनिणीत
129. पैरा	36४ ग४	अनिणीत
	36४ घ४	अनिणीत
	37४ क४	अनिणीत
	37४ ख४	अनिणीत
130. पैरा	37४ ग४	अनिणीत
	38	अनिणीत
131. पैरा	38	अनिणीत
132. पैरा	39	अनिणीत

✓ 133. पैरा	40	अनिर्णीत
134. पैरा	41 क	अनिर्णीत
	41 ख	अनिर्णीत
135. पैरा	42	अनिर्णीत
136. पैरा	43	अनिर्णीत
137. पैरा	44	अनिर्णीत
138. पैरा	45 क	अनिर्णीत
	45 ख	अनिर्णीत
	45 ग	अनिर्णीत
139. पैरा	46 अ	अनिर्णीत
	46 ख	अनिर्णीत
140. पैरा	47	अनिर्णीत
141. पैरा	48	अनिर्णीत
142. पैरा	49 क	अनिर्णीत
	49 ख	अनिर्णीत
	49 ग	अनिर्णीत
	49 घ	अनिर्णीत
143. पैरा	50	अनिर्णीत
144. पैरा	51	अनिर्णीत
145. पैरा	52	अनिर्णीत
146. पैरा	53	अनिर्णीत
147. पैरा	54	अनिर्णीत
148. पैरा	55	अनिर्णीत

....

अवधि 4/98 से 3/99 :-
=====

1. पैरा 2१ए॥	निर्णयित पत्रांक 1 दिनांक 3.9.2001 द्वारा
2. पैरा 2१बी॥	निर्णयित —"——
3. पैरा 2१सी॥	निर्णयित —"——
4. पैरा 3	निर्णयित —"——
5. पैरा 4	अनिर्णयित
6. पैरा 5१ए॥	निर्णयित पत्रांक 1 दिनांक 3.9.2001 द्वारा
7. पैरा 5१बी॥	अनिर्णयित
8. पैरा 5१सी॥	अनिर्णयित
9. पैरा 5१डी॥	अनिर्णयित
10. पैरा 5१ई॥	निर्णयित संशोधित प्रविष्टियों को पुष्टि को गई
11. पैरा 6	निर्णयित
12. पैरा 7	अनिर्णयित
13. पैरा 8१ए॥	अनिर्णयित
14. पैरा 8१बी॥	अनिर्णयित
15. पैरा 9१ए, बी॥	निर्णयित स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में शामिल
16. पैरा 10	निर्णयित
17. पैरा 11	निर्णयित पत्रांक 1 दिनांक 3.9.2001 द्वारा
18. पैरा 12	अनिर्णयित
19. पैरा 13	अनिर्णयित
20. पैरा 14	अनिर्णयित
21. पैरा 15१1॥	अनिर्णयित
पैरा 15१2॥	निर्णयित
22. पैरा 16	अंशतः निर्णयित मद संख्या 1, 3, 4, 5 व 7 पर कार्यवाही को पुष्टि को गई
23. पैरा 17	अनिर्णयित
24. पैरा 18	अनिर्णयित
25. पैरा 19	अंशतः निर्णयित मद सं 11, 13 व 15 पर कार्यवाही को पुष्टि को गई
26. पैरा 20	निर्णयित पत्रांक 1 दिनांक 3.9.2001 द्वारा

27. पैरा 21	अनिर्णीत
28. पैरा 22	अनिर्णीत
29. पैरा 23	अनिर्णीत
30. पैरा 24 क व	अनिर्णीत
31. पैरा 24 ग ख	निर्णीत
31. पैरा 25	अनिर्णीत
32. पैरा 26	अनिर्णीत
33. पैरा 27	अनिर्णीत
34. पैरा 28	अनिर्णीत
35. पैरा 29	अनिर्णीत
36. पैरा 30	निर्णीत पत्रांक 1 दिनांक 3.9.2001 द्वारा
37. पैरा 31	अनिर्णीत
38. पैरा 32	अनिर्णीत
39. पैरा 33	अनिर्णीत
40. पैरा 34	अनिर्णीत
41. पैरा 35	अनिर्णीत
42. पैरा 36	अनिर्णीत
43. पैरा 37	अनिर्णीत
44. पैरा 38	अनिर्णीत
45. पैरा 39	अनिर्णीत
46. पैरा 40	अनिर्णीत
47. पैरा 41	अनिर्णीत
48. पैरा 42	अनिर्णीत
49. पैरा 43	अनिर्णीत
50. पैरा 44	अनिर्णीत
51. पैरा 45	अनिर्णीत
52. पैरा 46	अनिर्णीत
53. पैरा 47	अनिर्णीत
54. पैरा 48	अनिर्णीत
55. पैरा 49	अनिर्णीत
56. पैरा 50	निर्णीत अभिलेख की तुष्टि की गई है

57. पैरा 51 अनिर्णित
58. पैरा 52 अनिर्णित
59. पैरा 53 अनिर्णित
60. पैरा 54 अनिर्णित
61. पैरा 55 अनिर्णित
62. पैरा 56 अनिर्णित
63. पैरा 57 आंशिक निर्णित ॥ संविदाकार सर्व श्री प्रताप चौहान, अजय अग्रवाल, मोहन सिंह व हितेन्द्र से सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि शेष है ।
64. पैरा 58 अनिर्णित
65. पैरा 59 अनिर्णित
66. पैरा 60 निर्णित
67. पैरा 61 अनिर्णित ॥ 30.1530/- रुपये की वसूली अपेक्षित है ॥
68. पैरा 62 अनिर्णित
69. पैरा 63 अनिर्णित
70. पैरा 64 अनिर्णित
71. पैरा 65 निर्णित
72. पैरा 66 अनिर्णित
73. पैरा 67 अनिर्णित
74. पैरा 68 निर्णित
75. पैरा 69 अनिर्णित
76. पैरा 70 निर्णित ॥ भविष्य में भूल न दोहराने का आश्वासन दिया गया ॥
77. पैरा 71 अनिर्णित
78. पैरा 72 निर्णित
79. पैरा 73 निर्णित
80. पैरा 74 निर्णित
81. पैरा 75 निर्णित
82. पैरा 76 अनिर्णित
83. पैरा 77 अनिर्णित
84. पैरा 78 अनिर्णित
85. पैरा 79 अनिर्णित
86. पैरा 80 अनिर्णित
87. पैरा 81 अनिर्णित
88. पैरा 82 निर्णित ॥ पत्र संख्या । दिनांक 3.9.2001 द्वारा ।